# डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश
## सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स्था0/2025/5745 दिनांकः 25 जनवरी, 2025

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

**विषयः** गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी, 2025 को गरिमामय ढंग से मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्याः I/861937/2025/16–3099/1000/2019 दिनांक 24.01.2025 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के पत्र में उल्लिखित सूचना अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याः 01/2025/34/उन्नीस–2–2025–1139/86 दिनांक 21.01.2025 द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी, 2025 को गरिमामय ढंग से मनाये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही कराने की अपेक्षा की गयी है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र में उल्लिखित सूचना अनुभाग–2 के पत्र दिनांक 21.01.2025 में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(रीना सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, लखनऊ।
2. प्राचार्य/अधिष्ठाता, वास्तुकला एवं योजना संकाय, लखनऊ।
3. निदेशक, सेन्टर फार एडवांस्ड स्टडीज, लखनऊ।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, नोएडा।
5. नोडल अधिकारी, फार्मेसी एण्ड मैनेजमेंट संकाय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
6. डॉ0 आयुष श्रीवास्तव, सहायक कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के उक्त निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
7. स्टाफ आफीसर, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(रीना सिंह)
कुलसचिव

**ई-मेल**
**शीर्ष प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण**
**संख्या-I/861937/2025/ 16-3099/1000/2019**

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति, ए0के0टी0य0, लखनऊ।
2. कुलपति, एच0बी0टी0यू0, कानपुर।
3. कुलपति, एम0एम0एम0यू0टी0, गोरखपुर।
4. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
6. कुलसचिव, ए0के0टी0यू, लखनऊ।
7. कुलसचिव, एच0बी0टी0यू, कानपुर।
8. कुलसचिव, एम0एम0एम0टी0यू0, गोरखपुर।
9. निदेशक, बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
10. निदेशक, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
11. निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
12. समस्त निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, उ0प्र0।
13. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
14. सचिव, प्राविधिक शिक्षा, परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
16. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक, प्रा0शि0)
18. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थान, उ0प्र0। (द्वारा निदेशक, प्रा0शि0)

**प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3** **लखनऊः दिनांकः 24-01-2025**

विषयः- गणतंत्र दिवस समारोह, 26 जनवरी, 2025 को गरिमामय ढंग से मनाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूचना अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2025/34/उन्नीस-2-2025-1139/86, दिनांक 21.01.2025 (छायाप्रति संलग्नक सहित संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह, 26 जनवरी, 2025 को गरिमामय ढंग से मनाये जाने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किये गए हैं।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सूचना अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2025/34/उन्नीस-2-2025-1139/86, दिनांक 21.01.2025 द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह, 26 जनवरी, 2025 को गरिमामय ढंग से मनाये जाने के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Chiraunji Lal
Date: 24-01-2025 20:03:17

(चिरौंजी लाल)
संयुक्त सचिव।

AR(Est.)
Reg
25/1/25

481/ACSTE/2025
VS(D)

24.01.2025
(राजेन्द्र प्रताप)
निजी सचिव,
अपर मुख्य सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन।

**शासनादेश**

**संख्या-01/2025/34/उन्नीस-2-2025-1139/86**

275/VSTE/25
J.S./30-3

24/01/25
(महेश चन्द्र)
निजी सचिव, श्रेणी-2
विशेष सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

# गणतंत्र दिवस समारोह

## 26 जनवरी, 2025 को

## गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाना।

24/1/2025

**संख्या-01/2025/34/उन्नीस-2-2025-1139/86**

प्रेषक,

**मोनिका एस0 गर्ग,**
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

सूचना अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 21 जनवरी, 2025

**विषयः-गणतंत्र दिवस समारोह, 26 जनवरी, 2025 को गरिमापूर्ण ढंग से मनाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान तथा पूर्ण गणतंत्र बनने की याद दिलाने वाला 76वॉ गणतंत्र दिवस समारोह परम्परागत रूप से सादगी, परन्तु आकर्षक ढंग से मनाया जायेगा।

2. समारोह की व्यवस्था हेतु एक परामर्शदाता समिति गठित कर ली जाये, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिजनों, विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों, सरकारी विभागों, शैक्षिक संस्थाओं, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय आदि के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये।

3. गणतंत्र दिवस समारोह, 2025 के सम्बन्ध में आपकी सुविधा के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा नीचे दी जा रही है। यदि आवश्यक समझें तो व्यावहारिक स्तर पर सुविधानुसार यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है।

{1} प्रातःकाल 8:30 बजे सरकारी भवनों पर झण्डारोहण तथा अभिवादन हो और इस अवसर पर राष्ट्रगान के साथ संविधान में उल्लिखित संकल्पों के स्मरण की व्यवस्था की जाये।

{2} शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रध्वज प्रातः 10:00 बजे फहराया जाये।

{3} इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, धर्म-निरपेक्षता और साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना को मजबूत बनाने पर बल दिया जाये।

{4} समस्त शिक्षण संस्थाओं में इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये, जिनमें राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का सामूहिक गायन भी सम्मिलित हो। विद्यार्थियों को संक्षेप में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताया जाये और सशस्त्र सैन्यबलों के बलिदान को नमन करते हुए देशभक्तों के जीवन के प्रेरक-प्रसंगों की चर्चा की जाये, जिससे राष्ट्रीय चेतना विकसित हो। नाटक, विचार गोष्ठी तथा निबन्ध-लेखन की प्रतियोगितायें भी यथासम्भव आयोजित करायी जायें। इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक यथोचित आदेश अलग से जारी करेंगे।

4. झण्डारोहण कार्यक्रम के तुरन्त बाद पुलिस परेड की जाये तथा पुलिस बैण्ड के माध्यम से कार्यक्रम भी आयोजित किया जाये। परेड की सलामी वहां उपस्थित केन्द्रीय/प्रदेश सरकार के मा0 मंत्रीगण द्वारा ली जाये। यदि वे उपस्थित न हों, तो परेड की सलामी मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी लेंगे। यदि विधान परिषद के मा0 सभापति या मा0 उपसभापति अथवा विधानसभा के मा0 अध्यक्ष या मा0 उपाध्यक्ष जिले में मौजूद हों, तो उनसे झण्डारोहण करने का अनुरोध किया जाये। परेड में जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा सेना अथवा पुलिस बल के शहीदों की पत्नियों/अभिभावकों को भी ससम्मान आमंत्रित किया जाये।

5. दिन में शिक्षण संस्थाओं में खेलकूद, साइकिल रेस, दंगल आदि का आयोजन किया जाये। इस सम्बन्ध में खेल विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

6. तीसरे प्रहर में एन.सी.सी. स्काउटों और माइड आदि का सम्मिलित रूट मार्च कराया जाये।

7. अपराह्न में किसी खुले स्थान पर आम सभा का आयोजन किया जाये, जिसमेः-

{1} लोगों को तिरंगे झण्डे एवं गणतंत्र दिवस के गौरवशाली इतिहास तथा उसके महत्व के बारे में बताया जाये।

{2} जनसाधारण को विशेष रूप से स्मरण कराने की चेष्टा की जाये कि हमारे अगणित देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों के महान संघर्ष द्वारा जो स्वाधीनता हासिल की गयी है, वह अमूल्य है और आगे उसकी रक्षा का दायित्व हमारे ऊपर और नई पीढ़ी पर है।

{3} गणतंत्र की मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों को प्रेरणा दी जाये कि देश व समाज का निर्माण प्रेम तथा सद्भावना, मेल-जोल एवं एक दूसरे के धर्म, जाति, विचारों व महापुरूषों का आदर करने से होता है।

{4} गणतंत्र दिवस समारोह में स्थानीय स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, सशस्त्र सेना/ पैरामिलिट्री बल/सशस्त्र पुलिस बल के पुरस्कृत वीरों, शहीदों के आश्रितों एवं अन्य राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मा0 जन प्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया जाये।

{5} लोकसभा / राज्यसभा के मा0 सदस्य अथवा विधान परिषद/विधान सभा के मा0 सदस्य को बुलाया जाना सम्भव हो, तो उन्हें अवश्य आदरपूर्वक आमंत्रित किया जाये।

8. बढ़ते हुए प्रदूषण तथा बढ़ती जनसंख्या से हमारी विकास यात्रा प्रभावित हो रही है। सुखी भविष्य के लिए स्वच्छ पर्यावरण तथा सीमित परिवार की आवश्यकता को रेखांकित किया जाये। जनसाधारण को जन-सभाओं तथा गोष्ठियों द्वारा यह समझाने का प्रयास किया जाये कि राजनीतिक स्वाधीनता के बाद आर्थिक स्वाधीनता तथा सामाजिक बराबरी के लिए अनेक कदम उठाने हैं। इस दिशा में शासन द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में जनमानस को अवगत कराया जाये।

9. राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों के विषय में जनमानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाये। साथ ही बेहतर वातावरण पैदा करके स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाये। प्रदेश की वर्तमान सरकार का लक्ष्य जन आकांक्षाओं की पूर्ति तथा "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" है। राज्य सरकार सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है।

10. प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासन में जन सहभागिता, जनता की समस्याओं का निराकरण, जनजातियों के विकास, पर्यावरण संतुलन, रोजगार कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुविधा एवं सुरक्षा, उद्योगों का विकास एवं स्थापना, एक्सप्रेसवेज व सड़क निर्माण, समाज कल्याण, महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण, पुलिस सुधार, शहरी विकास, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, शिक्षा को प्रोत्साहन, वृद्धों के कल्याण, किसानों के लिए सिंचाई हेतु मुफ्त पानी देते हुए उनकी आय दोगुनी करने तथा एक जिला-एक उत्पाद जैसे अनेक विकासपरक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों, जिनका संलग्न **'परिशिष्ट'** में उल्लेख किया गया है, के सम्बन्ध में जन सभाओं में जनसाधारण को अवगत कराया जाये।

11. सार्वजनिक संस्थाओं और पंचायतों के कार्यकर्ताओं तथा जन-कल्याण का कार्य करने वाली अन्य समितियों की सहायता से साक्षरता को बढ़ावा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक सामंजस्य से ओतप्रोत जन सहभागी समाज की स्थापना के विशेष प्रयास किये गए हैं। यह देश सभी धर्मों और सम्प्रदायों में पारस्परिक विश्वास, सद्भावना एवं एकता से ही प्रगति और उन्नति कर सकता है।

12. वर्तमान सरकार सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के रास्ते पर चलते हुए कानून व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरोटालरेन्स की नीति पर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में शांति एवं सद्भाव का वातावरण

सृजित करने के लिए इस अवसर पर जनमानस की अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित की जाये और लोगों को प्रेरित तथा जागरूक भी किया जाये।

**संलग्नकः-परिशिष्ट।**

Signed by
Monika Sehgal Garg
Date: 21-01-2025 12:49:41

**(मोनिका एस0 गर्ग)**
**मुख्य सचिव**

**संख्या-01/2025/34(1)/उन्नीस-2-2025-1139/86 तद्दिनांकित**

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रदेश के समस्त उप मुख्यमंत्री/मा0मंत्री/मा0राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/मा0 राज्यमंत्री गण के निजी सचिव गण को मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
2. समस्त महापौर, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयों के प्रमुख अधिकारीगण।
7. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उ0प्र0।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारीगण।
10. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-1/सामान्य प्रशासन विभाग।
12. गार्ड पत्रावली।

Signed by
Sanjay Prasad
Date: 21-01-2025 13:19:58

**आज्ञा से,**

**(संजय प्रसाद)**
**प्रमुख सचिव**

## परिशिष्ट

### प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों तथा राज्य के समग्र विकास के लिये संचालित महत्वपूर्ण योजनायें एवं कार्यक्रमः-

**जनसमस्या निवारण:-**

जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी व्यवस्था की गयी है। मा0 ी जी के सरकारी आवास पर आयोजित **"जनता दर्शन"** में आये पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं की ों की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा इन्टीग्रेटेड रिड्रेसल सिस्टम (आई.जी.आर.एस.) के तहत दिनांक 07 जनवरी, 2025 तक प्राप्त कुल 331 संद में से 5,36,94,510 मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया गया। तहसीलों में **समाधान दिवस'** का आयोजन प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार तथा **'थाना दिवस'** चौथे शनिवार को आयोजित करते हुए प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। माननीय ी जी द्वारा शुभारम्भ की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण स्था की गई है।

**र्थ कार्य:-**

कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को रुपये एक लाख प्रति श्रद्धालु अनुदान की व्यवस्था।

सिन्धी समाज के सिंधु दर्शन के तीर्थ यात्रियों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से 20 हजार रुपये त अनुदान दिये जाने की व्यवस्था।

नपद गाजियाबाद स्थित कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर 04 मई, पर्यटन विभाग को हस्तगत।

ी राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्याधाम तक पहुंच मार्ग योजना के अंतर्गत 03 मार्गों के चौड़ीकरण र्यीकरण का कार्य पूर्ण।

3 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु प्राप्त प्रस्तावों को परीक्षण करके हित लोक निर्माण विभाग को बजट आवंटन हेतु प्रेषित किया गया।

**कानून व्यवस्थाः-**

देश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अधिक बेहतर बनाने तथा अपराधियों के विरुद्ध जीरो की नीति जारी।

साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाने की स्थापना। 1530 जनपदीय साइबर सेल का गठन। हेल्पलाइन नं0 1930 का संचालन एवं हेल्पलाइन की सहायता से वर्ष 2017 क 179.23 करोड़ रु0 की धनराशि संबंधित बैंकों में फ्रीज़/होल्ड करायी गई। प्रदेश के समस्त 75 में साइबर क्राइम थाना संचालित।

देश में लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज कमिश्नरेट व्यवस्था लागू।

यू0पी0 परियोजना को और अधिक जनोपयोगी बनाने के साथ-साथ इसके संसाधनों में र कई नयी परियोजना जोड़ी गई हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित माहौल देने के लिए लिंक रने का निर्णय, वीमेन पावर लाइन 1090, जी0आर0पी0, फायर सर्विस, महिला हेल्प लाइन एकीकरण।

ाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाने के लिए प्रदेश ले में एण्टी रोमियो स्कायड का गठन कर 22 मार्च 2017 से 27 दिसम्बर, 2024 तक व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 1,44,06,253 व्यक्तियों को चेतावनी एवं 32,077 व्यक्तियों निक कार्यवाही।

(6) प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन का गठन।

(7) राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किये जाने हेतु पृथक से **उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स** नामक नये सुरक्षा बल का गठन।

(8) **ई-प्रॉसीक्यूशन प्रणाली** के उपयोग में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(9) प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही में 20 मार्च 2017 से 28 दिसम्बर, 2024 तक 217 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये एवं 7,799 घायल। 28,085 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिनमें 19,955 इनामी अपराधी हैं। 78,977 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर अधिनियम तथा 924 अपराधियों के विरुद्ध एन0एस0ए0 की कार्यवाही। गैंगेस्टर अधिनियम के अंतर्गत 140 अरब 90 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक लागत मूल्य की चल/अचल अवैध सम्पत्तियों का जब्तीकरण।

(10) प्रदेश स्तर पर चिन्हित 68 माफिया व उनके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों में कुल 1,391 के विरुद्ध 782 अभियोग पंजीकृत तथा 611 की गिरफ्तारी, 359 शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही, 18 के विरुद्ध एन0एस0ए0, 752 के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट। माफिया एवं अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित रु0 4,067 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति जब्त। साथ ही 31 माफिया व 74 सहअपराधी को सघन पैरवी कराकर दण्डित कराया गया।

(11) ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत 01 जुलाई, 2023 से 29 दिसम्बर, 2024 तक विभिन्न अपराधों में कुल 68,486 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। विभिन्न अपराधों में 51 प्रकरणों में मृत्युदण्ड, 6,281 प्रकरणों में आजीवन कारावास, 1090 प्रकरणों में 20 वर्ष से अधिक सजा, 74 प्रकरणों में 15 से 19 वर्ष की सजा, 3,785 प्रकरणों में 10 से 14 वर्ष की सजा, 5,783 प्रकरणों में 05 से 09 वर्ष की सजा, 23,300 प्रकरणों में 05 वर्ष से कम की सजा। इस प्रकार कुल 68,486 प्रकरणों में माननीय न्यायालयों द्वारा सजा करायी गई।

(12) प्रदेश में 126 नये थाने, 09 महिला थानों की स्वीकृति, 86 नई पुलिस चौकी, 04 जल पुलिस चौकी, 78 महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र, 75 विद्युत निरोधक पुलिस थाना, 10 सतर्कता अधिष्ठान थाना, 04 आर्थिक अपराध इकाई थाने, 06 यूपीएसएसएफ की स्थापना, 75 साइबर क्राइम थाना व 06 नये नॉरकोटिक्स थानों की स्थापना तथा जोन स्तर पर 08 ऑपरेशनल यूनिट स्थापित।

(13) मानव तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 75 एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों में परिवर्तित।

(14) 01 लाख 55 हजार 855 पदों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती तथा 1,42,908 विभिन्न पदों पर पदोन्नति। प्रदेश में 1,518 थानों में कुल 15,130 महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त करते हुए 10,378 महिला बीटों का आवंटन।

(15) मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय "धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मानक के अनुसार ध्वनि प्रसारित हो" के अनुपालन में अभियान के अंतर्गत 1,08,037 लाउड स्पीकर हटवाये गये तथा 1,53,417 लाउडस्पीकरों की ध्वनि मानक के अनुसार कम करायी गयी।

(16) यू0पी0-112 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 30 नवम्बर, 2024 तक त्वरित आपातकालीन सहायता के तहत 5,11,78,627 आपात सहायता इवेंट तैयार कराकर उन्हें आपात सहायता प्रदान की गई। यूपी-112 का रिस्पांस टाइम वर्तमान में 07 मिनट 50 सेकेण्ड है।

(17) महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत यू0पी0-112 द्वारा पूरे प्रदेश में 314 महिला पीआरवी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

(18) प्रदेश की आम जनता से प्रभावी संवाद हेतु c-plan app से 20,31,229 सदस्य जोड़े जा चुकें हैं।

(19) 12 जनपदों-लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, अलीगढ़, बरेली, गोण्डा एवं मुरादाबाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्रियाशील।

(20) जागरूकता अभियान तथा अफवाहों पर नियंत्रण हेतु 05 लाख डिजिटल वॉलन्टियर को चिन्हि के डिजिटल माध्यम से सक्रिय किया गया।

(21) परेशन त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत 10 जुलाई 2023 से अब तक 10,86,632 सीसीटीवी कैमरों का उ न। इस प्रकार इस अभियान के अंतर्गत कुल 11,80,510 सीसीटीवी कैमरों का अधि किया गया। इसके माध्यम से प्रदेश में हत्या, डकैती, अपहरण, स्नैचिंग, टप्पेबाजी आदि से सम्बं ल 2,121 अपराधों का खुलासा कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

**4. सानों के हितार्थ ऐतिहासिक फैसले:-**

(1) नमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 से माह नवम्बर 2024 कुल 18 किस्तों में 2.62 करोड़ से अधिक कृषकों को कुल रु0 79,477 करोड़ की धनराशि डी0ब के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की गयी।

(2) नमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवम्बर, 2024 तक 18.85 लाख कृषक 13.15 लाख हे0 क्षेत्रंफल में बीमा कराया गया। नवम्बर, 2024 तक वर्ष 2023-24 के बीमित कृषक रु0 429.46 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान।

(3) तालाब योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवम्बर, 2024 तक 1428 खेत-तालाब का निर्मा र्ण पूर्ण।

(4) नमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2 5 में माह नवम्बर, 2024 तक कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 19,478 सोलर पम्पों की स ।

(5) श के 49 जनपदों में 85,710 हे0 क्षेत्रफल में तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में 23,500 हे0 क्षे में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम संचालित।

(6) ानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में खरीफ एवं रबी में माह र, 2024 तक 56.61 लाख कुन्तल बीज वितरित।

(7) ीय वर्ष 2024-25 में माह नवम्बर, 2024 तक रु0 72256.18 करोड़ फसली ऋण वितरित। वित्तीय 2024-25 में माह नवम्बर, 2024 तक 51.16 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित।

(8) ीय वर्ष 2024-25 में खरीफ एवं रबी में माह नवम्बर, 2024 तक 68.49 लाख मी0टन उर्वरकों का वितर माह नवम्बर, 2024 तक 10,884 लाख मी0टन रक्षा रसायन का वितरण।

(9) कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, प्रोत्साहन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु उ0प्र0 कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) नीति-2020 लागू। 06 दिसम्बर, 2024 तक 3722 एफपीओ का गठन।

(10) उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिलेट्स को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को 2,36,182 बीज मिलेट्स (श्रीअन्न) मिनीकिट वितरित।

(11) सहकारिता क्षेत्र की निजी उर्वरक कम्पनियों द्वारा जनपदों में लगने वाले फास्फेटिक उर्वरक रैक में से कम से कम 50 प्रतिशत उर्वरक आवंटन किये जाने का प्राविधान। इसके अनुपालन में पीसीएफ द्वारा 73,627 मी0टन फास्फेटिक उर्वरक सहकारी समितियों को उपलब्ध कराया गया।

(12) खरीफ अभियान वर्ष 2024 में 9.12 लाख मी0टन यूरिया एवं 4.49 लाख मी0टन फास्फेटिक का वितरण किया गया।

(13) खरीफ अभियान के अंतर्गत 108.30 कुन्तल प्रमाणित बीज का वितरण किया गया। रबी अभियान वर्ष 2024 में 07 दिसम्बर, 2024 तक 2.13 लाख मी0टन यूरिया एवं 5.64 लाख मी0टन फास्फेटिक का वितरण किया गया।

(14) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, जिसके संबंध में इण्टर नेशनल कॉआपरेटिव एलाइन्स का आयोजन नई दिल्ली में 25 नवम्बर से 29 नवम्बर, 2024 तक किया गया।

(15) लखनऊ में 23 दिसम्बर, 2023 को आयोजित "किसान सम्मान दिवस" के अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री जी ने "मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना" के तहत 93 ट्रैक्टर तथा 23 दिसम्बर, 2024 को चयनित किसानों को 11 ट्रैक्टर वितरित किये। 85 हाटपैठ का कार्य पूर्ण, 09 निर्माणाधीन।

(16) मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से कृषकों एवं व्यापारियों/आढ़तियों हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्तमान तक 48,125 कृषकों/लाभार्थियों को रु0 6881.08 लाख की अनुदान राशि वितरित। ई-नाम के अंतर्गत कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश की 125 मण्डियों में अप्रैल, 2022 से नवम्बर, 2024 तक रु0 5,795 करोड़ का डिजिटल व्यापार किया गया। मण्डी समितियों को ऑनलाइन करने की दिशा में ई-मण्डी योजना के अंतर्गत मार्च, 2022 से नवम्बर, 2024 तक 64,490 ई-लाइसेंस निर्गत किये गये एवं ई-मण्डियों में 3.21 करोड़ से अधिक ऑनलाइन पर्चियां निर्गत।

(17) लखनऊ एवं सहारनपुर में मैंगो पैक हाउस के माध्यम से 131.37 मैट्रिक टन आम को प्रोसेस व पैकिंग कर विभिन्न देशों में निर्यात किया गया।

**5. गन्ना किसानों को सुविधाएं:-**

(1) गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(2) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्व के पेराई सत्रों के भुगतान सहित अब तक गन्ना किसानों को 2,61,815 करोड़ रुपये से अधिक गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान।

(3) विगत 07 वर्षों में गन्ना उत्पादकता में 11.72 टन प्रति हे0 की वृद्धि हुई। उत्पादकता में वृद्धि से किसानों की आय में औसत रु0 370 प्रति कुन्तल की दर से रु0 43,364 प्रति हेक्टेयर की वृद्धि। विगत 07 वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 7,386 लाख टन गन्ने की रिकॉर्ड पेराई की गई। गत 07 वर्षों में 786.61 लाख टन चीनी का रिकार्ड उत्पादन।

(4) विगत 07 वर्षों में प्रदेश में 36.34 लाख हे0 क्षेत्रफल में गन्ने के साथ अंतःफसली खेती से कृषकों को लगभग 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई।

(5) स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के माध्यम से पर्ची निर्गमन कार्य में पूर्ण पारदर्शिता। ऑनलाइन पोर्टल 'caneup.in' एवं 'e-Ganna' ऐप द्वारा सर्वे, सट्टा, कैलेण्डर, पर्ची एवं भुगतान संबंधी सूचना गन्ना किसानों को उपलब्ध।

(6) 03 चीनी मिलें पिपराइच, मुडेरवा एवं चांगीपुर की स्थापना एवं 06 चीनी मिलों का पुर्नसंचालन।

(7) ऑनलाइन खाण्डसारी लाईसेंसिंग नीति जारी। प्रथम बार 285 नई खाण्डसारी इकाइयों हेतु लाईसेंस निर्गत। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1241.25 करोड़ रुपये का पूंजीगत निवेश तथा 41,900 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।

(8) ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रदेश के 37 जिलों में 3,208 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन। 60,092 ग्रामीण महिला उद्यमी पंजीकृत। समूहों को अब तक रु0 6622.92 लाख का अनुदान वितरित।

(9) कृषक गन्ने की खेती से जुड़ी विभिन्न समस्याओं हेतु विभागीय टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। अब तक गन्ना किसानों की 1,07,20,309 शिकायतें निस्तारित।

**6. आबकारी विभाग -**

(1) आबकारी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व लक्ष्य रु0 58,310 करोड़ के सापेक्ष दिसम्बर, 2024 तक रु0 3983.22 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो विगत वर्ष के इसी अवधि में प्राप्त राजस्व से 5.48 प्रतिशत अधिक है।

(2) शीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। शीरा वर्ष 2023-24 में कुल 494.50 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन हुआ।

(3) प्रदेश में अल्कोहल उत्पादन हेतु 93 आसवनियां स्थापित हैं, जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 392.10 करोड़ लीटर है। नवम्बर, 2024 तक 217.45 करोड़ लीटर अल्कोहल का उत्पादन हुआ।

(4) भारत सरकार के एथेनॉल ब्लैण्डिंग प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में 70 आसवनियों द्वारा एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है, जिनकी अधिष्ठापित क्षमता 314.42 करोड़ लीटर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह नवम्बर, 2024 तक 93.75 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ। देश में एथेनॉल की आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है।

(5) इन्वेस्ट यूपी पोर्टल पर कुल रु0 38942.38 करोड़ के निवेश हेतु 132 एमओयू हस्ताक्षरित किये गये हैं।

**7. खाद्य एवं रसद विभाग -**

(1) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित। 02 निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल वितरण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम चरण में 01 अक्टूबर, 2024 से अब तक 91.51 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेन्डर का वितरण।

(2) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूँ खरीद में गत वर्ष के सापेक्ष रु0 150 की भारी वृद्धि करते हुए गेहूँ का समर्थन मूल्य रु0 2,425 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। धान खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कॉमन धान का समर्थन मूल्य रु0 2,300 प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य रु0 2,320 प्रति कुन्तल निर्धारित करते हुए 36.64 लाख मी0टन धान की खरीद की गई।

(3) भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों के उत्पादन, उपयोग के निर्देश के क्रम में प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में बाजरा का न्यूनतम सर्मथन मूल्य रु0 2,625 प्रति कुन्तल निर्धारित किया है।

(4) प्रदेश में मक्का खरीद हेतु वर्ष 2024-25 के लिए न्यूनतम सर्मथन मूल्य रु0 2,225 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। ज्वार खरीद हेतु न्यूनतम सर्मथन मूल्य हाईब्रिड ज्वार के लिए रु0 3,371 एवं ज्वार मालडण्डी के लिए रु0 3,421 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है।

(5) प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त उचित दर दुकानों में ई-पॉस के माध्यम से लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण और ओ0टी0पी0 प्रमाणीकरण द्वारा खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है।

(6) 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत अब तक अन्य राज्यों के 71,917 राशन कार्डधारकों द्वारा उ0प्र0 से तथा उ0प्र0 के 67,93,925 कार्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया।

(7) एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी, 2024 से आगामी 05 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

**8. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण:-**

(1) प्रदेश के कृषि सेक्टर के विकास में लगभग 25 प्रतिशत औद्यानिक फसलों का योगदान। प्रदेश के किसानो को उच्च गुणवत्ता के फल एवं सब्जी के पौधों की उपलब्धता तथा नवीन तकनीकी हस्तांतरण के उद्देश्य से इजराइल सरकार के तकनीकी सहयोग से जनपद कौशाम्बी में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स तथा चन्दौली में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल की स्थापना का निर्णय। जनपद सहारनपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स एण्ड वेजिटेबल तथा जनपद लखनऊ में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्नामेन्टल प्लाण्ट्स निर्माणाधीन।

(2) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति। गैर-कृषि उपयोग घोषणा के लिए सर्किल रेट पर मूल्य का 02 प्रतिशत शुल्क के रूप में जमा करने से छूट।

(3) पूंजीगत सब्सिडी के अंतर्गत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय के 35 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी, अधिकतम सीमा रुपये पांच करोड़ तक, प्रदान की जायेगी। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार और आधुनिकीकरण/उन्नयन के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय के 35 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी, (अधिकतम सीमा रु0 एक करोड़ तक) प्रदान की जायेगी।

(4) ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई की अधिक ग्राह्यता हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत के सापेक्ष 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत तथा स्प्रिंकलर के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों को 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 61,561 हे0क्षे0 में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम की सुविधा का कार्य पूर्ण। वर्ष 2024-25 में अद्यतन 88,000 हे0 में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का कार्य पूर्ण।

(5) एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा अन्य कार्यक्रमों में नवीन फलोद्यान, पुष्प, शाकभाजी एवं मसाला एवं औषधीय फसलों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम सम्पादित कराये गये। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 41,802 हे0 क्षेत्रफल का विस्तार।

(6) आलू के उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन एवं तकनीक उपलब्ध कराने हेतु जनपद हापुड़ एवं कुशीनगर में आलू के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है।

(7) 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत "प्रधानमंत्री सूक्ष्म, खाद्य उद्योग उन्नयन योजना" के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 6,672 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का उन्नयन। वर्ष 2024-25 में 21,000 लक्ष्य के सापेक्ष ईकाइयों के उन्नयन एवं नवीन ईकाइयों की स्थापना का कार्यक्रम कराया जा रहा है।

**9. उद्योगः-**

(1) "बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण" (बीडा) का गठन किया गया। यह प्राधिकरण 33 ग्रामों की कुल 56,660 एकड़ भूमि में विकसित होगा। अब तक 13,022 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

(2) प्रदेश में 47 वर्षों के बाद एक नये शहर की स्थापना का सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से बुन्देलखण्ड के बहुआयामी विकास को तेज गति मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी योजनान्तर्गत झांसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा की तर्ज पर एक नई इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जायेगी।

(3) उत्तर प्रदेश को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ-साथ भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। देश की जीडीपी में प्रदेश का 9.2 प्रतिशत योगदान है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने उ0प्र0 को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।

(4) फरवरी, 2023 में लखनऊ में आयोजित यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कुल 28,333 एमओयू हस्ताक्षरित करते हुए लगभग रु0 37.33 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत 1.07 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा।

(5) विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश की उल्लेखनीय प्रगति। प्रदेश में विकसित हुई वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों को अपना माल भारत व विदेशों के बाजार में भेजने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों की निर्बाध रूप से सुविधा।

(6) मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों की सहायता तथा प्रदेश में निवेश आकर्षण को सुदृढ़ करने और राज्य के सर्वसमावेशी विकास के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है।

(7) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा निवेशकों को समुचित सहायता प्रदान करने के लिए "इन्वेस्ट यूपी" द्वारा एक ऑनलाइन निवेशक संबंध प्रबंधन पोर्टल 'निवेश सारथी' विकसित किया गया है। निवेश मित्र के अधीन एक केन्द्रीकृत ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली को विभिन्न नीतियों में अनुमन्य प्रोत्साहन के प्राप्त करने की प्रक्रिया स्वीकृत एवं संवितरण हेतु विकसित किया गया है।

(8) उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए एक समर्पित नीति-"फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट

(एफडीआई), फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 घोषित।

(9) ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विन्डो पोर्टलों में से एक 'निवेश मित्र' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके माध्यम से उद्यमियों को 42 विभागों की 500 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है। उद्यमियों से लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों की 97 प्रतिशत से अधिक निस्तारण दर के साथ 'निवेश मित्र' देश में वर्तमान में कार्यरत सबसे कुशल सिंगल विन्डो पोर्टलों में से एक बन गया है। इसके माध्यम से अब तक 15.4 लाख से अधिक स्वीकृतियां डिजिटल रूप से जारी की गई हैं।

(10) उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए उ0प्र0 दुकान और वाणिज्य अधिनियम 1962 के अंतर्गत पंजीकरण पर्याप्त है तथा ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

(11) वर्ष 2022 के उपरान्त व्यापार सुधार कार्ययोजना के भाग के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि सुधार, श्रम पंजीकरण, पर्यावरण नियम, सिंगल विन्डो सिस्टम, उपयोगिता सुधार, निर्माण परमिट जैसे 12 सुधार क्षेत्रों में 352 प्रमुख सुधारों को कार्यान्वित किया गया है। इनमें से 261 सुधार सरकार से बिजनेस (जी 2 बी), ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत 91 (जी 2 सी) सुधार किए गए हैं।

(12) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई औद्योगिक विकास केन्द्र एवं निर्यात केन्द्र विकसित किये जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सेमीकन्डक्टर पार्क, डेटा सेन्टर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सम्मिलित हैं। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ-हरदोई में एक मेगा इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क। हरदोई-कानपुर में एक मेगा लेदर क्लस्टर शामिल है। ग्रेटर नोएडा में एविएशन हब, एमआरओ-कार्गो काम्प्लेक्स, दादरी में एक मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब, बोराकी में एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, आगरा और प्रयागराज में इन्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, बरेली में मेगाफूड पार्क, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क तथा गाजियाबाद लखनऊ आदि जिलों में केमिकल और फार्मा पार्क जैसे सेक्टर, विशिष्ट पार्क निर्माणाधीन हैं। उत्तर प्रदेश में अध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(13) प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यात नीति 2020-25 प्रख्यापित। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रोत्साहन/सुविधा प्राप्त करने हेतु ब्यूरो में पंजीकरण की व्यवस्था की गई है तथा पंजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की जा चुकी है। निर्यातक इकाइयों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन कराया जा रहा है।

(14) **एक जनपद-एक उत्पाद** वित्त पोषण योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में 17 दिसम्बर, 2024 तक 1,838 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए रु0 10559.29 लाख मार्जिन मनी वितरित। 34,500 व्यक्तियों का रोजगार सृजन।

(15) विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितम्बर, 2024 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को टूल किट तथा एमएसएमई ईकाइयों को रु0 50,000 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। मा0 मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 03 जनवरी, 2024 को सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमियों को 51 हजार करोड़ रुपये के ००ऋण वितरित किए। मा0 मुख्यमंत्री जी ने एमएसएमई क्षेत्र हेतु रु0 30,826 करोड़ के मेगा ऋण वितरण समारोह में लाभार्थियों को ऋण वितरित किया। मुख्यमंत्री जी ने 27 जून, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर इकाइयों को रु0 20,000 करोड़ के ऋण वितरण का शुभारम्भ एवं रानी लक्ष्मीबाई प्लेज पार्क झांसी का उद्घाटन किया।

(16) कौशल विकास एवं टूल किट वितरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 24,951 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

(17) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 3,036 लाभार्थियों को रु0 8508.36 लाख की मार्जिन मनी वितरित। 24,288 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(18) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में अब तक 1,467 लाभार्थियों को रु0 5680.74 लाख मार्जिन मनी वितरित। 11,736 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(19) मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 02 उद्यमियों के सन्दर्भ में प्रत्येक इकाई को 05 लाख की वित्तीय सहायता। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 01 उद्यमी को रु0 3.50 लाख की वित्तीय सहायता।

(20) प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 के बजट में नई योजना के रूप में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारम्भ किया गया है, जिसके लिए रु0 1000 करोड़ का प्राविधान।

(21) एमएसएमई क्षेत्र के समग्र विकास हेतु एमएसएमई नीति-2022 प्राख्यापित।

(22) प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश के नियोजित औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग की महती आवश्यकता के दृष्टिगत (पीएलईडीजीई) निजी औद्योगिक आस्थानों के विकास की योजना प्रारम्भ की गई है। प्रदेश में अब तक कुल 11 प्लेज पार्कों की स्वीकृति-जनपद उन्नाव, सहारनपुर, मेरठ, अमरोहा, सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर देहात, हापुड़, सम्भल, झांसी एवं मथुरा में की जा चुकी है।

(23) निवेश मित्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह नवम्बर, 2024 तक कुल 6,62,672 उद्यम पंजीकृत हुए, जिसमें 59,64,048 रोजगार का सृजन हुआ।

**10. सूचना प्रौद्योगिकी:-**

(1) उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021 के अंतर्गत संशोधित नीति में लक्ष्यों को उच्चीकृत करते हुए 08 डाटा सेन्टर पार्कस् तथा प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपये के निवेश से 900 मेगावॉट क्षमता का पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित। उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के अंतर्गत कुल रु0 1427.97 करोड़ निवेश तथा 19,000 रोजगार संभावनाओं युक्त 19 परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान कर निवेशकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत।

(2) प्रदेश सरकार द्वारा आईटी पूल फण्ड की स्थापना, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे विभागों, जिनके पास आईटी सेवाओं के लिए संसाधनों की कमी है एवं ऐसी सेवायें जिनके लिये पूर्व में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ऐसे विभागों और सेवाओं के लिए आईटी पूल फण्ड की स्थापना की गयी है।

(3) उत्तर प्रदेश की आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस नीति प्रख्यापित। इस नीति के तहत राज्य में 08 स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना के क्रम में 02 उत्कृष्टता केन्द्र संचालित।

(4) उत्तर प्रदेश सेमीकन्डक्टर नीति-2024 प्रख्यापित। सेमीकन्डक्टर ईकाइयों के लिए डेडीकेटेड प्रावधान प्रारम्भ करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बना। नीति के अंतर्गत रु0 28440 करोड़ तथा रु0 3706.12 करोड़ के निवेश वाली 02 वृहद परियोजनाओं निवेश हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(5) उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश में मान्यता प्राप्त 2,544 नये स्टार्टअप कार्यरत।

**11. जी0एस0टी0:-**

(1) वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह नवम्बर, 2024 तक रु0 74,585.72 करोड़ का राजस्व प्राप्त करते हुए 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(2) जी0एस0टी0 में समाधान योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3.18 लाख व्यापारी लाभान्वित। रेस्टोरेन्ट के व्यापारियों को मात्र 05 प्रतिशत जी0एस0टी0 जमा किये जाने की अलग से समाधान योजना लागू।

(3) उ0प्र0 में जी0एस0टी0 में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश में सर्वाधिक है।

(4) मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 202 एवं वर्ष 2024-25 में अब तक 195 कुल 397 व्यापारियों को रु0 39.54 करोड़ देते हुए लाभान्वित किया गया।

**12. नगर विकास:-**

(1) स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत **'इंडिया स्मार्ट सिटी अवॉर्ड कॉंटेस्ट'** में विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को कुल 10 अवॉर्ड प्राप्त हुए। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में प्रदेश के दो शहर- आगरा व वाराणसी निरन्तर प्रथम 10 शहरो व तीन शहर-आगरा, वाराणसी व कानपुर प्रथम 20 शहरों में सम्मिलित रहे।

(2) स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के चयनित 10 शहरों में स्वच्छता, जलापूर्ति, सीवरेज, पथप्रकाश, स्मार्ट मार्ग व पार्किंग, पार्कों व वाटर बाडीज के स्वीकृत कार्यों में 641 कार्य पूर्ण।

(3) राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत प्रदेश के 07 शहरों-अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ व शाहजहांपुर में 938.48 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट क्लास, सोलर स्ट्रीट लाइट, हेल्थ एटीएम, सीसीटीवी, इन्टीग्रेशन, सूर्य नमस्कार, सीनियर केयर सेन्टर, जोनल कार्यालय, सोलर स्ट्रीट लाइट आदि कार्य प्रगति पर। स्वीकृत 74 कार्यों में 34 कार्य पूर्ण।

(4) प्रदेश के सभी 17 स्मार्ट शहरों की केन्द्रीकृत एकीकृत कमाण्ड एवं नियंत्रण केन्द्र से निगरानी के लिए स्मार्टसिटी राज्य केन्द्रीकृत डिजिटल निगरानी केन्द्र की स्थापना।

(5) **प्रधानमंत्री आवास योजना** (शहरी) के अंतर्गत तक कुल 16,41,500 आवास पूर्ण। उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(6) प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 19.72 लाख पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित। ऋण वितरण में उ0प्र0 का देश में प्रथम स्थान। भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु वर्ष 2023-24 में प्रेज एवॉर्ड से उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत किया गया।

(7) **अमृत योजना** के अन्तर्गत प्रदेश में 11312.10 करोड़ रुपये लागत की जलापूर्ति, सीवरेज, हरितभूमि एवं पार्क की कुल 723 परियोजनाओ में से पेयजल की 161, सीवरेज की 93 परियोजनाएं, हरित भूमि व पार्क विकास की 302 परियोजनाएं पूर्ण। साथ ही 9.20 लाख पेयजल तथा 8.60 लाख सीवर के गृह संयोजन पूर्ण, इससे 89 लाख लोग लाभान्वित हुए। नगरीय निकायों में 280 एमएलडी क्षमता के 12 एसटीपी एवं 210 एमएलडी क्षमता के 04 डब्ल्यूटीपी का कार्य पूर्ण।

(8) स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)-1.0 के अंतर्गत 82 नगरीय निकायों में 133.42 लाख टन एकत्रित लिगेसी वेस्ट में से 103.65 टन लिगेसी वेस्ट का निस्तारण तथा 09 लाख व्यक्तिगत शौचालयों, 69,381 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण। प्रदेश के 189 निकायों में महिलाओं के लिए 1100 पिंक शौचालयों का निर्माण। 762 नगरीय निकायों में 935 मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) अधिष्ठापित कराने का कार्य संचालित। वर्तमान में 727 नगरीय निकायों में मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी संचालित।

(9) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2024 में प्रदेश के 04 शहरों-फिरोजाबाद एवं रायबरेली को प्रथम स्थान तथा आगरा एवं झांसी को तीसरा स्थान अपनी श्रेणी में प्राप्त हुआ।

(10) दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह निर्माण हेतु स्वीकृत 155 योजनाओं में से 146 पूर्ण। 5.92 लाख शहरी गरीब परिवारों को गतिशील कर 74,391 स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुए 49,516 समूहों को रु0 49.52 करोड़ रुपये रिवाल्विंग फण्ड के रूप में अवमुक्त किया गया। 2,44,813 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर 1,20,821 लाभार्थियों को सेवायोजित किया गया।

(11) नगरीय निकायों में संचालित सुविधाओं एवं कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए नगरीय निकाय निदेशालय में प्रदेश स्तरीय डीसीसीसी व्यवस्था। जन समस्याओं व शिकायतों की सुनवाई के लिए तकनीक आधारित 'सम्भव' पोर्टल की व्यवस्था। प्रदेशव्यापी टोल फ्री नं0 1533 संचालित। जनसामान्य की सुविधा के लिए सभी नगरीय निकायों में ई-नगर सेवा लागू।

(12) आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत कुल 762 नगरीय निकायों में से सबसे पिछड़े 100 नगर निकायों में आधारभूत अवसंरचना के निर्माण एवं विकास हेतु 150 करोड़ रुपये स्वीकृत।

(13) फेम इण्डिया स्कीम-2 के तहत नगरीय परिवहन को सुलभ व सुरक्षित बनाने हेतु 14 शहरों में 740 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी एवं पैनिक बटन

की व्यवस्था के साथ व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग हेतु चार्जिंग स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया गतिशील। प्रदेश के 07 शहरों में 500 ई-ऑटो संचालित कराने की कार्यवाही गतिशील। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नगरीय परिवहन की बसों में कॉमन मोबिलिटी कार्ड-'वन यूपी वन कार्ड' की व्यवस्था।

(14) मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अरबन) के तहत नगरों में सुगम एवं सुरक्षित यातायात के लिए बेहतर सड़क निर्माण हेतु 16 नगर निगमों को 432 करोड़ रुपये की धनराशि निर्गत।

(15) प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 'वंदन' योजना के तहत 137 निकायों में कार्य प्रगति पर। योजना के तहत पेयजल, सीवरेज, जलनिकासी, सड़क, पथप्रकाश एवं सौन्दर्यीकरण आदि की व्यवस्था की जा रही।

(16) महाकुम्भ मेला-2025 प्रयागराज में 23 कार्यदायी विभागों की 453 परियोजनाओं हेतु धनराशि निर्गत। महाकुम्भ में अवसंरचनात्मक सुविधाएं रेलवे, ओवरब्रिज/रेलवे अण्डरब्रिज, सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य, नदी किनारे कटाव निरोधक कार्य, इण्टरलॉकिंग सड़क मार्ग/रिवर फ्रण्ट का निर्माण आदि कार्य विकसित। स्वच्छ भारत मिशन एवं नगर निगम प्रयागराज के समन्वय से शहर की साफ-सफाई एवं स्वच्छता हेतु उच्चकोटि की व्यवस्था। डिजिटल कुम्भ म्यूजियम का निर्माण एवं पर्यटन रूट सर्किट का निर्माण।

**13. जलशक्ति:-**

(1) प्रदेश सरकार द्वारा कुल 976 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण, जिसमें 48.32 लाख हे0 सिंचन क्षमता का सृजन हुआ।

(2) प्रदेश में कुल नहरों की लम्बाई 76,527 किमी0 है तथा जलाशयों की संख्या 71 है। चलित राजकीय नलकूप 35,336 हैं।

(3) प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा हेतु अब तक कुल 1,551 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण। 32.87 लाख हे0 से अधिक भूमि का बचाव करते हुए करोड़ों की आबादी को लाभान्वित किया गया।

(4) केन-बेतवा लिंक परियोजना के निर्माण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा रु0 5121.51 करोड़ का प्राविधान। इस परियोजना के पूर्ण होने से प्रदेश में 1700 एम0सी0एम0 पानी तथा 2.51 लाख हे0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध होगी।

(5) मध्य गंगा स्टेज-2 परियोजना प्रक्रियाधीन। परियोजना के पूर्ण होने पर जनपद अमरोहा, संभल, मुरादाबाद में कुल 1.46 लाख हे0 सिंचन क्षमता का सृजन होगा एवं 4,10,348 कृषक लाभान्वित होंगे। जनपद महराजगंज में रोहिन नदी पर रोहिन बैराज का निर्माण कार्य प्रगति पर। परियोजना पूर्ण होने पर 8,811 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन एवं 16,000 कृषक होंगे लाभान्वित होंगे।

(6) तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

(7) प्रदेश के कृषकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं राजकीय नलकूपों के संचालन संबंधी समस्याओं को दूर कराने हेतु 'हेलो किसान' मुहिम प्रारम्भ।

(8) जनपद महराजगंज में स्थित छोटी गण्डक नदी को पुनर्जीवित किया गया। नेपाल से जनपद महराजगंज में प्रवेश करने के उपरान्त यह नदी लगभग 10 किमी0 मृतप्राय हो गई थी, जिसको पुनर्जीवित करते हुए 22 ग्रामों की 48,500 आबादी तथा 1,950 हे0 कृषि योग्य भूमि को सुरक्षा प्रदान की गई।

**14. नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति:-**

(1) नमामि गंगे परियोजना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत रु0 14822.64 करोड़ लागत की 67 सीवर शोधन परियोजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। इनमें से 39 सीवरेज शोधन संयंत्र पूर्ण। 12 परियोजनायें निर्माणाधीन।

(2) वर्तमान में 4226.98 एमएलडी क्षमता के 144 सीवेज ट्रीटमेंन्ट प्लाण्ट जल शोधन हेतु संचालित। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्प्रवाह शोधन संबंधी 05 योजनाएं स्वीकृत। 69 घाटों एवं 13 शवदाह गृह का निर्माण। वाराणसी नगर में 26 घाटों तथा 08 कुण्डों के पुनरुद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण।

(3) नदियों के किनारें अब तक 8820.15 हेक्टेयर क्षेत्र में 46,39,275 पौधों का रोपण।

(4) प्रयागराज में 07 घाट एवं फतेहपुर तथा बलिया में 1-1 घाट का निर्माण कार्य स्वीकृत। नदी जल की गुणवत्ता की जाँच हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जाँच की जाती है। गंगा नदी पर 36 स्थानों से माह मई 2024 में नेशनल वॉटर क्वालटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत लिये गये सैम्पल की जाँच के उत्साहजनक नतीजे प्राप्त।

(5) गंगा नदी के समीप चिन्हांकित 231 आर्द्रभूमि का मूल्यांकन करते हुए प्रबंधन की कार्यवाही प्रचलित। ऑर्गेनिक एवं प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देते हुए गंगा किनारे के 27 जनपदों में 1,23,580 हे0 क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों की निर्मलता एवं अविरलता को सुनिश्चित करने हेतु जन-जन को नदियों से जोड़ने के प्रयास में 'अर्थगंगा' की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

(6) जल जीवन मिशन के अंतर्गत अनाच्छादित बस्तियों में "हर घर को नल से जल' उपलब्ध कराने के लक्ष्य के क्रम में अब तक 2.315 करोड़ ग्रामीण हाउसहोल्ड को क्रियाशील गृह नल संयोजन द्वारा पाइप पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध।

(7) बुन्देलखण्ड क्षेत्र की 41 सतही स्रोत जल आधारित एवं 423 भूजल आधारित पाइप पेयजल के माध्यम से 4470 राजस्व ग्रामों में 14.10 से अधिक परिवारों को जलापूर्ति। विन्ध्य क्षेत्र की 21 सतही जल स्रोत एवं 140 भूजल आधारित परियोजनाओं के माध्यम से 6,01,629 परिवारों को शुद्ध पेयजल हेतु नल कनेक्शन दिया गया।

(8) प्रदेश में जल जीवन मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से कुल 1,16,440 स्कूलों एवं 1,56,002 आंगनबाड़ी केन्द्रों को पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति।

(9) भारत सरकार द्वारा संचालित अटल भूजल योजनांतर्गत प्रदेश के 26 विकास खण्डों की 550 ग्राम पंचायतों का चयन करते हुए जनसहभागिता के माध्यम से जल संचयन के विभिन्न कार्य। उ0प्र0 अटल भूजल योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू।

(10) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक 'हर खेत को पानी' एवं मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,24,184 निःशुल्क बोरिंग/उथले नलकूप, 2,397 गहरी बोरिंग व 4,574 मध्यम बोरिंग नलकूप पूर्ण। 13 तालाब, 22 चेकडैम तथा 273 ब्लास्ट कूप का निर्माण।

**15. अवस्थापना सुविधाओं का विकास:-**

(1) प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिए 340.824 किमी0 लम्बे 06 लेन चौड़े (08 लेन विस्तारणीय) पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा 16 नवम्बर, 2021 को किया गया लोकार्पण। यातायात संचालित। एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

(2) 296 किमी0 लम्बे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा 16 जुलाई, 2022 को लोकार्पण। एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

(3) गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर।

(4) मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी0 लम्बाई के गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य प्रगति पर।

(5) उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी 06 नोड्स-अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में, रक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि अर्जन करने के उपरान्त विभिन्न उद्यमियों को आवंटित एवं कार्य स्थल का विकास प्रगति पर।

(6) अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्याधाम संचालित। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या सहित प्रदेश में 04 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स क्रियाशील। जनपद गौतमबुद्धनगर में 5000 हे0 में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर) उत्तर भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। प्रदेश के आपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या 16 (लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा,

कानपुर, प्रयागराज, हिंडन, बरेली, कुशीनगर, अयोध्या, आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, सरसावा एवं मुरादाबाद) हो गयी है।

(7) प्रदेश में अप्रैल 2017 में 04 क्रियाशील एयरपोर्ट से 25 डोमेस्टिक और इण्टरनेशनल डेस्टिनेशंस कनेक्टेड थे वहीं वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 16 क्रियाशील एयरपोर्ट से 85-89 डोमेस्टिक तथा इण्टरनेशनल डेस्टिनेशंस कनेक्टड हैं।

(8) जेवर में निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश देश में 05 इण्टरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा।

**16. ऊर्जा:-**

(1) प्रदेश में स्थानीय व्यवधान को छोड़कर निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही। माह अप्रैल, 2024 से माह नवम्बर, 2024 तक की अवधि में प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गई।

(2) प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 42 नये 33/11केवी विद्युत उपकेन्द्र ऊर्जीकृत एवं 564 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई गई। बिजनेस प्लान 2024-25 एवं अतिरिक्त बिजनेस प्लान के अंतर्गत 72 नग 33/11केवी विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण तथा 517 नग 33/11केवी विद्युत उपकेन्द्रों की विद्युत क्षमता वृद्धि का कार्य।

(3) नवीन व्यवस्था के तहत किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मरों को 48 घण्टे में बदलने की व्यवस्था।

(4) सिंचाई की सुविधा हेतु किसानों के अब तक 1,81,048 निजी नलकूप के संयोजन निर्गत किये गये। डार्क जोन में निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने से 01 लाख किसानों को सीधा लाभ मिला।

(5) वर्ष 2023-24 में 26 विद्युत उपकेन्द्रों का ऊर्जीकरण किया गया। इन उप केन्द्रों के ऊर्जीकरण से ग्रिड में 15,039 एमवीए परिवर्तक क्षमता का संयोजन एवं 3,640 सर्किट किमी0 पारेषण लाइनों का ऊर्जीकरण किया गया।

(6) विद्युत उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने तथा लाइन हानियों को कम करने के लिए आर0डी0एस0एस0 योजना संचालित।

(7) लाइन हानियों को कम करने के लिए एल0टी0 लाइन की खुले तारों व क्षतिग्रस्त केबल को 1,01,898 सर्किट किलो मीटर ए0बी0 केबिल में बदला गया। इससे लॉइन हानियों में कमी आई।

(8) उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों में स्विचगियर, केबिल, प्रोटेक्शन सिस्टम से संबंधित कार्य कराये गये तथा बिजनेस प्लान के तहत वर्ष 2024-25 में रु0 4878.50 करोड़ से विद्युत सुदृढ़ीकरण के कार्य कराये जा रहे हैं।

(9) किसानों के निजी नलकूप हेतु मुफ्त विद्युत आपूर्ति दिये जाने का निर्णय। किसानों को सिंचाई हेतु वर्ष 2022-23 के विद्युत बिल के सरचार्ज में माफी योजना लागू। 11 दिसम्बर, 2024 तक 8,62,477 उपभोक्ताओं ने योजना में पंजीकरण कराया।

(10) झटपट पोर्टल, निवेश मित्र पोर्टल में 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक 22,20,215 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 11,74,782 उपभोक्ताओं को नये संयोजन निर्गत किये गये।

(11) प्रदेश में उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु विद्युत बिलों को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सेवा केन्द्रों व जन सेवा केन्द्रों, स्वयं सहायता समूहों, राशन की दुकानों, विद्युत सखियों, मीटर रीडर के माध्यम से विद्युत बिल जमा करने की सुविधा।

(12) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं को एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा।

(13) उपभोक्ताओं को घर बैठे स्वयं अपना बिल बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम द्वारा मीटर की रीडिंग डालकर बिल बनाने की सुविधा। पॉवर कारपोरेशन में ईआरपी प्रणाली लागू।

(14) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा 03 नवम्बर, 2024 को अधिकतम 165.3084 मि0यू0/6888 मे0वॉट का रिकार्ड उत्पादन किया गया।

(15) फरवरी 2023 में सम्पन्न यू0पी0 ग्लोबल इन्वेर्स्ट्स समिट में उ0प्र0 सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन हेतु एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लि0 के साथ एमओयू हस्ताक्षरित।

(16) ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण तंत्र का सुदृढ़ीकरण। पारेषण तंत्र की क्षमता में वृद्धि करते हुए वर्ष 2024-25 में पारेषण क्षमता को बढ़ाकर 32,400 मेगावॉट किया जाना है।

(17) उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा दिनांक 13 जून, 2024 को 30,618 मेगावॉट की उच्चतम मांग को सफलतापूर्वक वहन किया गया।

(18) यूटीलिटी स्केल पावर प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत 2,653 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाओं का स्थापना कार्य पूर्ण।

(19) रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट के तहत 384 मेगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित। पीएम सूर्यघर सोलर अभियान के तहत जनपद वाराणसी में 29,000 घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना हेतु रजिस्ट्रेशन, 6,500 घरों पर संयंत्र की स्थापना। सोलर स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 1,82,587 संयंत्रों, सौभाग्य योजना के तहत दूरस्थ ग्रामों में 53,354 तथा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत 14,229 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना। पीएम कुसुम योजना घटक सी-1 के अंतर्गत 2000 पम्पों का सोलराइजेशन किया गया।

(20) सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत आगामी 05 वर्षों में 22 हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-2 के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4,000 मेगावॉट क्षमता के सोलर पार्क स्थापना की कार्यवाही संचालित।

(21) उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के तहत कृषि व पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेसमड अपशिष्ट आदि विभिन्न जैव अपशिष्टों का उपयोग कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लाण्ट, बायो-कोल, बायो डीजल व बायो एथेनॉल की इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन। जैव ऊर्जा नीति के अंतर्गत 53 परियोजनाओं की स्वीकृति। प्रदेश में अभी तक 24 परियोजनायें स्थापित हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 प्रख्यापित।

**17. श्रम एवं सेवायोजनः-**

(1) उ0प्र0 कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन। आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर के लिए जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवॉर्डी सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु व्यवस्था विकसित।

(2) प्रदेश के सर्वाधिक बाल श्रम से प्रभावित 20 जिलों के चिन्हित 1,197 ग्राम पंचायतों/शहरी वॉर्डों को बालश्रम मुक्त घोषित किये जाने के लिए नया सवेरा योजना का संचालन, जिनमें 06 से 14 आयु वर्ग के 41,285 बच्चों तथा 15 से 18 आयु वर्ग के 14,825 कामकाजी बच्चों की पहचान कर औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया। चिन्हित कामकाजी बच्चों के 14,825 परिवारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना से आच्छादित किया गया।

(3) श्रमिकों के कल्याणार्थ योजनाएं संचालित। कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता पर 04 लाख रुपये एवं आंशिक दिव्यांगता पर 03 लाख रुपये की सहायता।

(4) बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत ऐसे बाल श्रमिकों जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है अथवा वे किसी गम्भीर रोग से ग्रसित होने के कारण कार्य करने की स्थिति में नहीं है, ऐसे कामकाजी बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि प्रत्येक माह रु0 1,000 बालकों व रु0 1,200 बालिकाओं के लिए दी जाती है।

(5) विदेशों में रोजगार हेतु प्रदेश के 9,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजा गया है। इससे लगभग 90 करोड़ रुपये प्रतिमाह और प्रतिवर्ष 1,080 करोड़ विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की उम्मीद है।

(6) कौशल प्राप्त कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य को स्थानीय सेवाएं प्रदान करने हेतु सेवामित्र पोर्टल की व्यवस्था। सेवायोजन विभाग द्वारा 52,060 कुशल कामगारों, 924 सेवा प्रदाताओं, 4,491 सेवामित्रों की व्यवस्था की गई है। मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार/स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण, अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार सृजन की कार्यवाही। कुल 9,822 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,64,460 अभ्यर्थियों का चयन करते हुए सेवायोजित कराया गया।

(7) श्रमिकों के बच्चों एवं कोविड से अनाथ हुये बच्चों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा देने हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना तथा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ।

(8) प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक कुल 6,91,188 श्रमिक आच्छादित। इस योजना में उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है।

**18. शिक्षा:-**

(1) प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत् कक्षा 01 से 08 तक के छात्र-छात्राओं को हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा की निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं के साथ दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी।

(2) प्रदेश के 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा 12 तक आवासीय सुविधा के साथ उच्चीकृत किया गया है। 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाएं एवं मानव संसाधन सुनिश्चित किया गया। इन विद्यालयों में 82,629 छात्राएं नामांकित हैं।

(3) प्रदेश के 1,772 उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में 'लर्निंग बाई डूइंग' कार्यक्रम संचालित करने की कार्यवाही गतिमान। 3,512 जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण तथा 3,831 विद्यालयों के पुनर्निर्माण हेतु वित्त पोषण करते हुए कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,350 नये अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, 354 वृहद मरम्मत, 123 जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण।

(4) परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को 02 सेट यूनीफार्म, जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय हेतु बच्चों के माता-पिता/अभिभावक के खातों में प्रति छात्र रु0 1,200 की दर से धनराशि अन्तरित की गई।

(5) परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को निरन्तर सुदृढ़ किया जा रहा है। आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 94 प्रतिशत विद्यालयों को 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है।

(6) समेकित शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश के 06-14 आयु वर्ग के समस्त दिव्यांग बच्चों की गुणवत्तापरक समावेशी शिक्षा के लिए दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं ऑनलाइन ट्रैकिंग हेतु 'समर्थ' मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन एवं पोर्टल विकसित किया गया है।

(7) 'निपुण भारत मिशन' के प्रभावी क्रियान्वयन एवं विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों का डेटा आधारित अनुश्रवण किये जाने के लिए विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थापना की गई है। दीक्षा ऐप पर 16,000 से अधिक डिजिटल शैक्षणिक सामग्री अपलोड कराई गई है।

(8) पी0एम0 श्री योजनान्तर्गत प्रदेश के 1,707 बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को चयनित किया गया।

(9) प्रदेश में वर्तमान में कुल 28,796 माध्यमिक विद्यालय संचालित, जिसमें 2,542 राजकीय, 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त तथा 21,742 स्ववित्त पोषित अशासकीय विद्यालय सम्मिलित हैं। संस्कृत शिक्षा के लिए कुल 1,240 विद्यालय संचालित। 60 नये राजकीय इण्टर कॉलेजों की स्वीकृति। 356 नये राजकीय इण्टर कॉलेज/हाईस्कूल का संचालन तथा 77 बालिका छात्रावास का संचालन।

(10) 757 राजकीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा व्यवस्था तथा कम्प्यूटर शिक्षा हेतु आईसीटी लैब की स्थापना। असेवित क्षेत्रों में 39 नवीन हाईस्कूल और 14 नवीन इण्टर कॉलेजों का निर्माण।

(11) असेवित बस्ती के चिन्हीकरण में सहायता हेतु 'पहुँच पोर्टल', विद्यार्थियों की कैरियर गाइडेन्स हेतु 'पंख पोर्टल', ई-लाइब्रेरी हेतु 'प्रज्ञान पोर्टल', विद्यालय ऑनलाइन अनुश्रवण श्रेणीकरण हेतु 'परख पोर्टल',

विद्यालयों के वेबपेज/वेबसाइट हेतु 'पहचान पोर्टल' विकसित। विद्यार्थियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए 'प्रवीण योजना' का संचालन। संसाधन मैपिंग के लिए 'प्रोजेक्ट अलंकार पोर्टल' विकसित।

(12) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के सुदृढीकरण योजनान्तर्गत इसे व्यवसायपरक बनाने हेतु इसमें आधुनिक विषयों का समावेश एवं एन0सी0ई0आर0टी0 की पाठ्य पुस्तके लागू। रोजगारपरक शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा 04 डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ। 11 नवीन राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय एवं 05 नवीन आवासीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना का निर्णय।

(13) प्रदेश में कुल 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित तथा 38 पीपीपी मॉडल पर संचालित। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन का कार्य प्रारम्भ। राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षण/कौशल विकास/प्रमाणीकृत 17,85,096 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 6,66,185 सफल प्रशिक्षार्थियों को प्रतिष्ठित कंपनियों/ अधिष्ठानों में कैम्पस प्लेसमेंट/रोजगार मेलों के माध्यम से सेवायोजित कराया गया।

(14) वर्तमान में डिप्लोमा स्तरीय 147 राजकीय एवं 19 अनुदानित तथा 18 संस्थाएं पी0पी0पी0 मोड सहित कुल 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 89 पॉलीटेक्निकों में लैंग्वेज लैब तथा 183 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना। छात्र-छात्राओं की समस्याओं का ऑनलाइन निराकरण हेतु Students Grievance Cell का गठन। प्रत्येक पॉलीटेक्निक संस्था में तथा मण्डल स्तर पर 1-1 महिला छात्रावास के निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 20 महिला छात्रावास निर्माणाधीन।

(15) प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प के दृष्टिगत उद्योगों को आधुनिक प्रौद्योगिकी में दक्ष मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए सत्र 2022-23 से न्यू एज कोर्स के अंतर्गत एक वर्षीय 04 नवीन पाठ्यक्रम यथा पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइन्स एवं मशीन लर्निंग, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रारम्भ।

(16) उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, जिसमें 134 विषयों के 77,000 कन्टेंट उपलब्ध हैं।

(17) प्रदेश सरकार द्वारा 03 नये राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना। विन्ध्याचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मण्डल में गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद एवं देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना। तीनो नवस्थापित राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति।

(18) मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित 52 नये राजकीय महाविद्यालयों तथा एक राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना। राज्य सेक्टर के अंतर्गत 24 राजकीय महाविद्यालयों का कार्य प्रगति पर। 83 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित एवं संचालित। तहसील/ब्लॉक स्तर पर स्थित 172 राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क की स्थापना का कार्य पूर्ण।

**19. समाज कल्याण:-**

(1) "मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना" के अंतर्गत प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार हेतु निःशुल्क ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2024-25 में अब तक कुल 23,017 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(2) वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के तहत लगभग 61 लाख पेंशनरों को 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है।

(3) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में अब तक 87,148 लाभार्थी परिवारों को रु0 261.45 करोड़ की धनराशि का व्यय करते हुए आर्थिक सहायता।

(4) समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के शैक्षिक उत्थान हेतु प्रदेश में कुल 100 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्ववर्ती नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) संचालित, जिसमें वर्ष 2024-25 में 32,538 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत।

(5) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वर्ष 2024-25 में माह दिसम्बर, 2024 तक 28,559 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया। योजना के तहत अनुदान राशि 35 हजार रुपये से बढ़ाकर प्रति लाभार्थी 51 हजार रुपये करते हुए लाभान्वित किया जा रहा है।

(6) प्रदेश के 75 जनपदों में 150 संवासियों की क्षमता के वृद्धाश्रम संचालित। इसके माध्यम से वर्ष 2024-25 में अब तक 6,586 वृद्ध लाभान्वित।

(7) पूर्वदशम छात्रवृत्ति वितरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति के 3,74,963 छात्र-छात्राओं एवं सामान्य वर्ग के 1,35,644 छात्र-छात्राओं को तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजना के अंतगर्त 2023-24 में अनुसूचित जाति के 10,33,599 छात्र-छात्राओं तथा सामान्य वर्ग के 6,18,164 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति /शुल्कप्रतिपूर्ति वितरित।

(8) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड का गठन।

(9) पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम चरण में 2,53,211 छात्र-छात्राओं के खातों में रु0 54.38 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कुल रु0 300 करोड़ का प्राविधान। दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11 दिसम्बर, 2024 तक 16,94,467 छात्र-छात्राओं के आवेदन प्राप्त। रु0 2175 करोड़ का प्राविधान।

(10) पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 54,960 लाभार्थियों के खाते में रु0 109.92 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित।

(11) पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए ओ-लेवल व सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 34,075 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(12) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था हेतु 1,218 परियोजनाओं का निर्माण।

(13) अल्पसंख्यक पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 1,02,337 छात्र-छात्राओं को रु0 2999.98 लाख एवं दश्मोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वर्ष 2023-24 में 2,47,709 छात्र-छात्रओं को रु0 18999.99 लाख की धनराशि वितरित।

(14) प्रदेश में 11,03,739 दिव्यांगजनों को 1,000 रु0 प्रतिमाह की दर से दिव्यांग भरण पोषण अनुदान/पेंशन तथा 12,361 लाभार्थियों को 3,000 रु0 प्रतिमाह की दर से कुष्ठावस्था पेंशन वितरित।

(15) शल्य चिकित्सा अनुदान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में 34 दिव्यांगजनों को शल्य चिकित्सा अनुदान। दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कुल निर्धारित लक्ष्य 1,060 के सापेक्ष 497 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(16) डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में वर्तमान में 47 पाठ्यक्रमों में कुल 5,682 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। दिव्यांगजन की उच्च शिक्षा को सुगम बनाने के दृष्टिगत जनपद चित्रकूट में जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिस्थापित। कुल 1,642 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत।

**20. महिला एवं बाल विकास:-**

(1) राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2023-24 तक कुल 93,658 बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों से मिलाया गया तथा 1,707 सम्भावित बाल विवाह रोके गये। 1,713 बालकों को अब तक दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनर्वासित किया गया।

(2) बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु "मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना" लागू, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी बालिका को 25,000 रु0 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जाता है। अब तक 22.12 लाख पात्र बालिकायें लाभान्वित।

(3) बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में कुल 7,028 गतिविधियों के माध्यम से 13.40 लाख महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया गया।

(4) '181' महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत अब तक 7.59 लाख महिलाओं/बालिकाओं को सहायता प्रदान की गई।

(5) वन स्टॉप सेन्टर योजना के अंतर्गत कुल 2.03 लाख मामले संदर्भित किये गये हैं।

(6) मिशन शक्ति अभियान के तहत लगभग 9 करोड़ पुरुष/महिला/अन्य को जागरूक किया गया। जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु "रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष" की स्थापना। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में अभी तक कुल 1,941 महिलाओं तथा बालिकाओं को सहायता एवं 9,794 महिलाओं/बालिकाओं को क्षतिपूर्ति धनराशि दी गई। प्रदेश में महिलाओं के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु 08 महिला शरणालय, 01 संरक्षण गृह, 01 मानसिक मंदित महिलाओं हेतु प्रकोष्ठ का संचालन। जिनमें 500 महिलाएं निवासरत हैं।

(7) पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत 30.98 लाख निराश्रित महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक की दर से पेंशन दी जा रही है।

(8) प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुये बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि में आर्थिक सहयोग हेतु "उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना" के अंतर्गत 18,990 बच्चों को 4,000 रु0 प्रतिमाह तथा 5,068 बच्चों को लैपटॉप वितरित। "उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)" के अंतर्गत 53,610 बच्चों को 2,500 रु0 प्रतिमाह आर्थिक सहायता सहित अन्य सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

**21. राजस्व:-**

(1) स्वामित्व योजना के अंतर्गत 90,573 ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए दिसम्बर, 2024 तक कुल 67,109 ग्रामों में 99,03,316 घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 हेतु रु0 1000 करोड़ का बजट प्राविधानित। 24000 से अधिक लोगों को लाभान्वित कराया जाएगा।

(2) अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु प्रदेश स्तर पर 4 स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन। प्रदेश में एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित 31 दिसम्बर, 2023 से 30 दिसम्बर, 2024 तक कुल 23,097 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 21,758 शिकायतें निस्तारित। अभियान के अंतर्गत कुल 456.10 हे0 भूमि अवैध अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी तथा 253 राजस्व वाद, 16 सिविल वाद व 18 एफआईआर दर्ज कराते हुए 142 अतिक्रमणकारियों को भू-माफिया के रूप में चिन्हित करते हुए वैधानिक कार्यवाही की गई। 02 भू-माफिया जेल में निरुद्ध।

(3) दिसम्बर, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक 62 अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध आई0पी0सी0 के अंतर्गत, 03 के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, 04 के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत, 05 के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के अंतर्गत तथा 12 के विरुद्ध अन्य धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि के मानकों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 120761.25 लाख रुपये विभिन्न जनपदों को आवंटित। महाकुम्भ के दौरान आपदाओं को न्यूनीकरण हेतु विभिन्न विभागों (अग्निशमन, पीएसी, पुलिस, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं मेला अधिकारी प्रयागराज) को 19250.33 लाख रुपये का आवंटन।

**22. परिवहन:-**

(1) माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा देश के विभिन्न जनपद मुख्यालयों को जोड़ते हुए राज्य की राजधानी एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हेतु परिवहन सेवाओं का शुभारम्भ किया गया है। वर्तमान में 97 बसें लखनऊ राजधानी एक्सप्रेस सेवा एवं दिल्ली हेतु 91 बसें राजधानी दिल्ली एक्सप्रेस सेवा के रूप में संचालित हैं। परिवहन निगम के बस बेड़े में वृद्धि तथा पुरानी बसों को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु 1,425 नई डीजल बीएस-6 बसों को क्रय करके बस बेड़े में शामिल किया गया। 1,350 नई बसों की बॉडी निर्माण प्रक्रियाधीन। 1,000 नई डीजल बीएस-6 बसें निर्माणाधीन।

(2) निगम द्वारा अपनी बस सेवाओं में सीटों के अग्रिम आरक्षण, डिजिटल माध्यम से भुगतान करने व फीडबैक हेतु यूपी राही ऐप का अनावरण।

(3) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 22 अक्टूबर, 2023 को अयोध्या में मिशन महिला सारथी अभियान के शुभारम्भ के साथ ही 51 बीएस-6 बसों का शुभारम्भ किया। वर्तमान में 38 बस स्टेशनों के निर्माण व उच्चीकरण का कार्य प्रगति पर।

(4) बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा व्यवस्था के लिए निगम को वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट में रु0 5 करोड़ की धनराशि का प्राविधान तथा परिवहन निगम द्वारा महिलाओं के लिए 50 पिंक सेवाओं का संचालन।

(5) सभी बसों में गति नियंत्रण हेतु स्पीड कन्ट्रोल डिवाइस स्थापित। दिव्यांग सशक्तीकरण के अंतर्गत 202 बस स्टेशनों पर व्हील चेयर, रैम्प, रेलिंग, प्रसाधनों की व्यवस्था। सुरक्षित संचालन एवं दुर्घटना की प्रभावी रोकथाम के दृष्टिगत चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण कर चालक स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड बनाया गया तथा नशे की रोकथाम के लिए निरीक्षक दल को ब्रेथ एनेलाइजर उपकरण दिये गये। बसों द्वारा घटित दुर्घटनाओं को कम किये जाने हेतु नवीन 'सुरक्षित चालन प्रोत्साहन योजना' लागू।

(6) परिवहन निगम की बसों के यात्रियों की मृत्यु होने पर वयस्क यात्री हेतु पूर्व में रु0 5 लाख की राहत राशि को बढ़ाकर 22 मार्च, 2023 से रु0 7.50 लाख दिये जाने का प्राविधान किया गया है। घायल यात्रियों को रु0 10,000, गम्भीर घायल को रु0 25,000, अति गम्भीर रूप से घायल यात्री को रु0 2.50 लाख की चिकित्सकीय सहायता का प्राविधान।

(7) रक्षाबन्धन पर्व पर वर्ष 2024 में 19.78 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई। 50 बस स्टेशनों पर नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु माताओं के लिए शिशु देखभाल कक्ष की व्यवस्था।

**23. सड़क एवं यातायात योजना (लोक निर्माण विभाग):-**

(1) वर्तमान सरकार के अब तक कार्यकाल में लगभग 32,074 किमी. लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण। अब तक लगभग 24,854 किमी0 लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण। 02 लेन मार्ग बनाने/चौड़ीकरण करते हुए 165 विकास खण्ड मुख्यालयों को जोड़ने हेतु 1,385 किलोमीटर लम्बाई हेतु रु0 2,357 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत, 149 कार्य पूर्ण। 26 तहसील मुख्यालयों को 02 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु लम्बाई 270 किलोमीटर चौड़ीकरण हेतु रु0 391 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत, 26 कार्य पूर्ण।

(2) मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत राजस्व ग्रामों एवं मजरों में कुल 189 मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण।

(3) 270 दीर्घ सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण। 115 रेल उपरिगामी सेतुओं तथा 10 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवागमन चालू। 1,015 लघु सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण। इसके अतिरिक्त, 115 दीर्घ सेतु, 594 लघु सेतु, 108 रेल उपरिगामी सेतु तथा 11 फ्लाईओवर, कुल 828 सेतु निर्माणाधीन, जिसमें 06 दीर्घ सेतु, 09 रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण पूर्ण।

(4) प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जनसामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्गों के विकास, जिसके क्रम में 1,222 किमी0 लम्बाई की 106 सड़कों में से 90 सड़कों का निर्माण पूर्ण।

(5) वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 39,206 किमी0 लम्बाई की सड़कों को गड्ढामुक्त तथा 15,734 किमी0 लम्बाई में मार्गों का नवीनीकरण किया गया।

(6) सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 93.68 किमी0 लम्बाई के 46 कार्य पूर्ण।

(7) लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए प्रतिदिन 09 किलोमीटर के औसत से चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, 11 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत से नये मार्गों का नवनिर्माण।

(8) प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों की श्रेणी परिवर्तित करते हुए कुल 70 नये राज्य मार्ग लम्बाई 5,604 किमी0 घोषित, इन मार्गों को दो लेन चौड़ा करने का कार्य किया जायेगा।

(9) मार्ग सुरक्षा/यातायात सुरक्षा हेतु चिन्हित 567 ब्लैक स्पॉट में से 321 ब्लैक स्पॉट का सेफ्टी आडिट आईआईटी दिल्ली तथा 246 का आईआईटी बीएचयू द्वारा पूर्ण किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में तीन चरणों में ब्लैक स्पॉट के सुधार हेतु 534 कार्ययोजना प्रक्रियाधीन।

(10) विभाग की टेण्डर प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने हेतु प्रहरी एप्लीकेशन को लागू किया गया। पारदर्शिता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए लोक निर्माण विभाग के बजट, पंजीकरण, ई-एमबी, ई-बिलिंग,

ई-डिमाण्ड, ई-एलाटमेन्ट को ऑनलाइन करने के लिए "चाणक्य" एवं "विश्वकर्मा" नाम से दो बड़े साफ्टवेयर लागू।

**24. पंचायतीराज:-**

(1) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रथम चरण में 2.18 करोड़ शौचालय निर्माण के साथ प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त/ओडीएफ घोषित किया गया। सर्वाधिक शौचालय निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

(2) ओडीएफ प्लस मानक श्रेणी के तहत ओडीएफ प्लस ग्रामों को तीन श्रेणियों/चरणों-उदीयमान, उज्ज्वल एवं उत्कृष्ट में विभक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में चयनित ग्रामों/ग्राम पंचायतों के प्रधान, सचिव, पंचायत सहायक, सफाईकर्मी, राजगीर, डीसी, डीपीआरओ, डीडीपी एवं राजमिस्त्रियों सहित 1.12 लाख से अधिक स्टेकहोल्डर्स को प्रशिक्षित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 49,500 स्टेकहोल्डर्स को प्रशिक्षित किया गया है।

(3) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का द्वितीय चरण वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित किया जां रहा है। वर्ष 2024-25 में लक्षित 16,17,537 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के सापेक्ष 11,57,665 व्यक्तिगत शौचालय निर्मित। फेज-02 के अंतर्गत 49,35,886 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण। प्रदेश की 58,519 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया।

(4) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन अन्तर्गत 2,36,704 सामुदायिक खाद गड्ढों तथा 3,11,470 सामुदायिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण कराया गया। गोबरधन परियोजना के तहत 72 जनपदों में 117 योजना का कार्य पूर्ण। प्लास्टिक प्रबन्धन के लिए 75 पी0डब्लू0एम0 यूनिट का कार्य पूर्ण। वित्तीय वर्ष में 4,82,652 लाभार्थियों के निर्मित शौचालयों की रैट्रोफिलिंग का कार्य।

(5) पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना केन्द्र पुनरोधित योजना के रूप में संचालित। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु भारत सरकार द्वारा
360.85 करोड़ रुपये की कार्ययोजना स्वीकृत की गई।

(6) पंचायत भवन/कॉमन सर्विस सेन्टर एवं पीएलसी की वर्ष 2023-24 की 1055 यूनिट्स एवं 2024-25 की 1107 यूनिट्स का चिन्हाकन कर रिपोर्टिंग करायी गई। 779 कॉमन सर्विस सेन्टर की यूनिट पूर्ण। 23,916 पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालयों में यू0पी0आई0 आई0डी0 एवं क्यू0आर0 कोड की स्थापना करायी गयी। प्रथम बार जेमपोर्टल का इंटीग्रेशन, भारत सरकार के साफ्टवेयर ई-ग्राम स्वराज से करते हुए ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन क्रय प्रणाली से जोड़े जाने की कार्यवाही की गयी।

(7) प्रदेश को ई-गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्यों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

(8) पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने हेतु मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 378 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करते हुए धनराशि हस्तांतरित।

(9) ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की पद पर रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके परिवार/आश्रित के सहायतार्थ पंचायत कल्याण कोष की स्थापना। इस कोष के अंतर्गत अब तक कुल 2,022 आश्रित आवेदकों के परिवारों को सहायता राशि दी गई।

**25. पर्यटन एवं संस्कृति:-**

(1) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 में जनवरी से सितम्बर तक लगभग कुल 47,60,74,061 पर्यटक आये, जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 47,46,72,934 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 14,01,127 है।

(2) जनपद अयोध्या में चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग पर पर्यटक सुविधा की स्थापना का कार्य 1829.15 लाख रुपये की धनराशि से कराया जा रहा है।

(3) जनपद अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग स्थित पर्यटन स्थल का पर्यटन विकास निर्माण कार्य 1772.01 लाख रुपये की धनराशि से कराया जा रहा है।

(4) जनपद कुशीनगर में बुद्धा थीम पार्क परियोजना का कार्य 1734.88 लाख रुपये की धनराशि से कराया जा रहा है।

(5) जनपद फिरोजाबाद के आर्य गुरूकुल महाविद्यालय में सांस्कृतिक संकुल का निर्माण रु0 2424.45 लाख की धनराशि से कराया जा रहा है।

(6) जनपद लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण 2366.92 लाख रुपये की धनराशि से कराया जा रहा है।

(7) पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु विभागीय पोर्टल पर 1,000 पर्यटन इकाइयों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी।

(8) मा0 मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 01 पर्यटन स्थल विकसित किये जाने की कार्य योजना।

(9) उ0प्र0 ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 50 करोड़ रुपये की धनराशि से 35 परियोजनाओं का विकास कार्य कराया जा रहा है।

(10) प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में कुल 1,506 युवा पर्यटन क्लब का गठन, जिसके माध्यम से 30,000 से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ा गया है।

(11) ग्रामीण पर्यटन के तहत 75 ग्रामों को 02 वर्ष की अवधि में ग्राम्य पर्यटन हेतु चयन कर पर्यटन का विकास किया जाना प्रस्तावित। ग्रामों को पर्यटकों के लिए सतत आकर्षण का केन्द्र बनाने के लिए 229 गांव चयनित।

(12) उ0प्र0 श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद, उ0प्र0 श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद तथा उ0प्र0 श्री शुक्र तीर्थ विकास परिषद का गठन।

(13) दीपोत्सव अयोध्या-छोटी दीपावली के अवसर पर 28 से 30 अक्टूबर, 2024 को राम की पैड़ी पर 25,12,585 दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया। काशी में देव दीपावली का आयोजन, मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव एवं ब्रजरज उत्सव का आयोजन।

(14) पर्यटकों की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु पर्यटन पुलिस का गठन।

(15) राज्य सरकार द्वारा रोप-वे परियोजना पीपीपी मॉडल पर जनपद-चित्रकूट एवं अष्टभुजा-कालीखोह में शुरू।

(16) आगरा एवं मथुरा हेलीपोर्ट को पीपीपी मोड पर संचालित किये जाने के लिए निजी निवेशक का चयन।

(17) पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क के लिए हेलीकाप्टर सेवा का शुभारम्भ।

(18) अयोध्या, वाराणसी एवं नैमिषारण्य हेली पोर्ट को पीपीपी मोड पर विकसित एवं संचालित करने के लिए मा0 मत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त।

(19) अयोध्या रामोत्सव-2024 के अंतर्गत 14 जनवरी से 24 मार्च, 2024 तक अयोध्या के 05 बड़े मंचों तथा 15 छोटे मंचों के माध्यम से 10,000 कलाकारों द्वारा भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति।

(20) लखनऊ में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय का निर्माण व गोरखपुर तथा मेरठ संग्रहालय का सुदृढ़ीकरण।

(21) पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक ग्राम बटेश्वर, आगरा में सांस्कृतिक संकुल का लोकार्पण।

(22) लखनऊ में उ0प्र0 सं०स्कृतिक संग्रहालय का निर्माण तथा जनपद आजमगढ़ में हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय का निर्माण।

(23) वृद्ध एवं निर्धन कलाकारों को मासिक पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में जीवित प्रमाण पत्र के आधार पर 400 कलाकारों को पेंशन।

(24) गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में महायोगी गुरू गोरखनाथ जी की 12.5 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित।

(25) भातखण्डे सम विश्वविद्यालय को संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा।

**26. ग्राम्य विकास, दुग्ध, पशुधन व मत्स्य विभाग:-**

(1) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कुल 8,55,479 स्वयं सहायता समूहों, 53,685 ग्राम संगठनों एवं 2,945 संकुल स्तरीय संघों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है।

(2) ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने हेतु बी0सी0 सखी योजना के अंतर्गत 50,192 बी0सी0 सखी का प्रमाणीकरण पूर्ण किया गया। 39,556 बी0सी0 सखी द्वारा कार्य करते हुए रु0 31,103 करोड़ से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया गया व 84.38 करोड़ रु0 का लाभांश अर्जित किया गया।

(3) लखपति महिला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हाकन, 17 लाख से अधिक आजीविका रजिस्टर पर प्रगति अंकित, 02 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं।

(4) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक कुल 36.60 लाख आवास आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 35.97 लाख आवास पूर्ण। शेष निर्माणाधीन। आवास प्लस से लक्ष्य प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है।

(5) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में गत वर्षों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये।

(6) मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 2.55 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण।

(7) मनरेगा में मानव दिवस सृजन में वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिला सहभागिता 42 प्रतिशत है, 27.90 लाख महिला श्रमिकों को रोजगार मिला।

(8) मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 26 करोड़ मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 20 दिसम्बर 2024 तक 25.20 करोड़ मानव दिवस सृजित करते हुए रु0 9684.85 करोड़ की धनराशि व्यय एवं 57.99 लाख परिवारों को मिला रोजगार। मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(9) प्रदेश के 18,810 अमृत सरोवर पूर्ण। अमृत सरोवर के निर्माण कार्य में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान।

(10) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-तृतीय के अंतर्गत स्वीकृत 2,494 मार्गों एवं 4 पुल के सापेक्ष 2,173 मार्गों एवं 4 लम्बे स्पान के पुलों का निर्माण पूर्ण। शेष मार्ग निर्माणाधीन। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 2131.649 किमी0 सड़कों का निर्माण पूर्ण।

(11) सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गोकुल पुरस्कार वितरण की व्यवस्था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के 66 चयनित लाभार्थियों को पुरस्कार वितरित। नन्दबाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न कमेटियों का गठन। समस्त जनपदों में सहकारी डेयरियों में सर्वाधिक दुग्ध आपूर्ति करने वाले उत्पादक सदस्य को प्रोत्साहन के रूप में नन्दबाबा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के 160 चयनित लाभार्थियों को पुरस्कृत किया गया।

(12) प्रदेश में गोसंरक्षण के लिए कुल 7,666 अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय स्थल स्थापित, इनमें 12,15,365 निराश्रित गोवंश संरक्षित। पशुपालकों की सुपुर्दगी में 1,53,895 गोवंश दिये गये।

(13) प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत दुग्ध प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की स्थापना का कार्य प्रगति पर।

(14) उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के अंतर्गत 3,131 प्रोजेक्ट के एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराये गये हैं, जिनमें 578 इकाइयों के प्रोजेक्ट जी0बी0सी0 से स्वीकृत हैं, जिसके द्वारा 2221.99 करोड़ का निवेश होगा। 1,23,677 व्यक्तियों को स्वरोजगार प्राप्त होगा।

(15) दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत पशुपालन के लिए माह मार्च, 2024 तक 5,55,171 किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को निर्गत।

(16) कुक्कुट विकास नीति 2022 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 132 इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया गया। इसमें रु0 302 करोड़ का अनुमानित निवेश एवं 12,820 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

(17) उत्तर प्रदेश को भारत सरकार से देश का सर्वश्रेष्ठ अर्न्तस्थलीय मात्स्यिकी राज्य का पुरस्कार प्राप्त।

(18) वित्तीय वर्ष 2023-24 में मत्स्य उत्पादन 11.59 लाख मी0टन रहा तथा 36,664 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ। मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा कन्वर्जेन्स के माध्यम से सुधारे गये ग्रामसभा के पट्टे के 727 हे0 तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश एवं मत्स्य बीज बैंक पर अनुदान उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत मत्स्य पालकों हेतु मछुआ दुर्घटना बीमा योजना के तहत 1,50,000 मछुआरों/मत्स्य पालकों को आच्छादित किया गया।

(19) निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 हेतु प्रति इकाई लागत रु0 73,700 की दर से 587 नावों पर अनुदान दिया गया। 2,209 मछुआ आवास का निर्माण कर मछुआरों को लाभान्वित किया। 1,08,266 मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध। प्रदेश में सदानीरा नदियों पर मत्स्य आखेट हेतु मछुआ समुदाय की मत्स्यजीवीं सहकारी समितियां बनाने हेतु नई नीति का निर्धारण।

## 27. वन एवं पर्यावरण:-

(1) 'पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ' जन अभियान-2024 के अन्तर्गत प्रदेश में 36.50 करोड़ वृक्षारोपण लक्ष्य के सापेक्ष 36.51 करोड़ पौध रोपित कर रिकार्ड बनाया गया। मा0 मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में कुकरैल नदी के तट पर अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी भूमि पर मा0 प्रधानमंत्री जी के आह्वान 'एक पेड़ माँ के नाम' के समादर में शक्ति-सौमित्र वन स्थापना स्थल पर हरिशंकरी रोपित कर 'पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ' जन अभियान-2024 का शुभारम्भ किया।

(2) उत्तर प्रदेश में 223 महत्वपूर्ण वेटलैण्डस् के जलागम क्षेत्र में वेटलैण्ड संरक्षण वन में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर वनो की स्थापना। प्रदेश के 35 सीमावर्ती जनपदों में 'मित्र वन' के अंतर्गत वृक्षारोपण। पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ जन अभियान-2024 के अंतर्गत मियावाकी वन, सौमित्र वन, शक्ति वन, आयुष वन, पंचवटी, नवग्रह वाटिका की स्थापना व हरिशंकरी का वृहद स्तर पर रोपण किया गया। 'पवित्र धारा वृक्षारोपण' योजना के अंतर्गत लगभग 3.72 करोड़ पौधों का सघन वृक्षारोपण किया गया।

(3) उत्तर प्रदेश 10 वेटलैण्डस् के साथ देश का सर्वाधिक रामसर साइट घोषित राज्य।

(4) गोरखपुर वन प्रभाग के तिलकोनिया रेंज में आरोग्य वन की स्थापना की गयी है। यह प्रदेश का पहला आरोग्य वन है। गोरखपुर के कैम्पियरगंज रेंज में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 06 सितम्बर, 2024 को एशिया के प्रथम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र का उद्घाटन किया गया।

(5) 100 वर्ष से अधिक ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक एवं महत्वपूर्ण अवसरों से जुड़े प्रदेश के 28 प्रजातियों के 948 वृक्षों को 'विरासत वृक्ष' घोषित किया गया।

(6) राज्य पक्षी सारस की संख्या 19,918 हो गई।

(7) भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा निर्गत भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वनावरण व वृक्षावरण 23437.53 वर्ग किलोमीटर से 559.19 वर्ग किलोमीटर बढ़कर 23996.72 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो 9.96 प्रतिशत है। वनावरण व वृक्षावरण वृद्धि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है।

## 28. खेल, युवा कल्याण एवं कौशल विकास:-

(1) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियमावली प्रख्यापित। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 पदक विजेताओं की सीधे राजपत्रित पदों पर भर्ती की गई है, जिनमें 05 खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक, 02 खिलाड़ियों को नायब तहसीलदार, 01 खिलाड़ी को यात्री/माल कर अधिकारी एवं 02 खिलाड़ियों को जिला युवा कल्याण एवं

प्रादेशिक दल अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 479 कुशल खिलाड़ियों की आरक्षी पद पर नियुक्ति। शासकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण।

(2) प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य खेल नीति-2023 लागू। एक जिला एक खेल योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में खेलो इण्डिया सेन्टर की स्थापना। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना के लिए रु0 97.13 करोड़ की स्वीकृति निर्गत। वाराणसी के सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का व्यापक विकास वाराणसी स्मार्ट सिटी द्वारा रु0 76 करोड़ की लागत से कराया जायेगा।

(4) ग्रामीण स्तर पर अब तक कुल 83 स्टेडियम स्थापित। खेलो इण्डिया के अंतर्गत 21 परियोजनाएं स्वीकृत, 17 पूर्ण। मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत 20 परियोजनाओं में से 18 पूर्ण। प्रदेश में पंचायत स्तर पर गठित 80 हजार युवक/महिला मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री देकर प्रोत्साहित किया गया।

(5) उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत विगत 06 वर्षों में 15.25 लाख युवाओं को निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर 5.71 लाख युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़कर सेवायोजित किया गया। अप्रेन्टिस योजना के अंतर्गत अब तक 2,54,335 युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई में योजित किया गया।

(6) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अवधारणा के अनुसार प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्यनरत 63,000 छात्र-छात्राओं को मिशन प्रेरणा एवं प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से रोजगारोंन्मुख व्यावसायिक/स्किल के कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

**29. सूचना विभाग:-**

(1) वर्तमान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी, विकासपरक, रोजगारपरक एवं महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों का होर्डिंग, एलईडी, विज्ञापन, विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य, लेख, फीचर, सफलता की कहानी, प्रेस विज्ञप्तियों, सोशल मीडिया, फोटो, फिल्म आदि विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

(2) उ0प्र0 फिल्म बन्धु/फिल्म विकास परिषद हेतु यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत सेक्टर-21 में लगभग 1000 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फिल्म सिटी का निर्माण गतिमान।

(3) लोक भवन में मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं, नीतियों, उपलब्धियों आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार।

(4) महाकुम्भ-2025 प्रयागराज का विभिन्न संचार माध्यमो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, विज्ञापन, होर्डिंग, एलईडी वैन, सोशल मीडिया, गीत नाट्य आदि के माध्यम से वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार।

**30. खादी तथा ग्रामोद्योग:-**

(1) मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 6,215 इकाइयां स्थापित करते हुए 1,14,179 लोगों को रोजगार।

(2) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 24,948 इकाइयां स्थापित करते हुए 2,78,005 लोगों को रोजगार। पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक कुल 2,859 इकाइयों को लाभान्वित किया गया। पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत 1,091 संस्थाओं के 4,05,351 कत्तिन एवं बुनकरों को लाभान्वित किया गया।

(3) मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 1,036 इकाईयों की स्थापना तथा 3,108 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(4) माटीकला टूलकिट्स वितरण योजनान्तर्गत विगत पांच वर्षों में 16,307 लाभार्थियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिलाते हुए विद्युत चालित कुम्हारी चाक का वितरण। अब तक 1,449 अदद दोना पत्तल मेकिंग

मशीनों का निःशुल्क वितरण कराया गया, जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 4,347 लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

**31. भूतत्व एवं खनिकर्म:-**

(1) खनिज सेवाओं के ऑनलाइन निस्तारण के लिए इन्टीग्रेटेड यूनीफाइड सिंगल इण्टर फेस "UP Mines Mitra" पोर्टल विकसित। मुद्रित परिवहन परिपत्र के स्थान पर ई-परिवहन प्रपत्र की व्यवस्था लागू।

(2) माइन मित्रा पोर्टल पर विकसित समाधानों के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 को डिजिटल इण्डिया एवॉर्ड-2022 (प्लैटिनम एवॉर्ड), 25वाँ नेशनल ई-गवर्नेंस एवॉर्ड-2022 (गोल्ड एवॉर्ड) एवं 19वॉ सीएसआईएसआईजी ई-गवर्नेंस एवॉर्ड-2021 प्राप्त हुआ।

(3) जन सामान्य हेतु ऑनलाइन नागरिक/किसान सेवाएं:- जिनमें कृषि भूमि, निजी भूमि, साधारण मिट्टी, भवन/विकास परियोजनाओं से निकले उपखनिजों के निस्तारण, भण्डारण लाइसेंस आदि के लिए 09 सेवाएं प्रदत्त। कुल 2,53,087 आवेदन निस्तारित।

(4) एकीकृत खनन निगरानी तंत्र के अंतर्गत कुल क्रियाशील 56 चेकगेट, कुल निर्गत नोटिस 1,60,917 के सापेक्ष धनराशि रु0 438.54 करोड़ की वसूली।

**32. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण:-**

(1) राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक माह की 15 तारीख को एकीकृत निःक्षय दिवस का आयोजन किया जा रहा है।

(2) प्रदेश में वर्ष 2024 में अब तक कुल 6.31 लाख क्षय रोगियों की पहचान व इलाज किया गया है, जो अभी तक लिए देश में रिकॉर्ड है। 44 हजार से अधिक निक्षय मित्रों ने 4.9 लाख रोगियों को गोद लिया है।

(3) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कुल 1.80 करोड़ परिवार आच्छादित, जिसमें 1.31 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व 49.23 लाख परिवार मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान की गई। प्रदेश में 10 दिसम्बर, 2024 तक 5.13 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर के निकट प्राप्त कराने के उद्देश्य से 22,681 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित। प्रदेश में वर्तमान में 25,744 ग्रामीण क्षेत्रों में उपकेन्द्र की स्थापना की गई है।

(4) प्रदेश में '108' एम्बुलेंस सेवा एवं '102' एम्बुलेंस सेवा संचालित। 250 ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा संचालित हैं। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के अंतर्गत 53 जनपदों में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन। फरवरी 2019 से अक्टूबर 2023 तक 1.22 करोड़ रोगी का उपचारित।

(5) प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में चिकित्सालयों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। 26,28,133 डायलिसिस सेवाएं, 31,77,346 सीटी स्कैन की सेवाएं एवं 29,92,699 रोगियों टेलीरेडियोलॉजी की सुविधा दी गई।

(6) यूनिसेफ के सहयोग से आकांक्षात्मक ब्लॉकों में प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है।

(7) डेंगू मलेरिया जैपनीज़ इन्सेफेलाइटिस, दिमागी बुखार जैसे संचारी रोगों पर पूर्ण नियंत्रण। इन रोगों की जांच एवं उपचार हेतु उचित सुविधाएं सर्वोच्च प्राथमिकता से दी जा रही हैं। ए0ई0एस0 में 76 प्रतिशत एवं मृत्यु संख्या में 98 प्रतिशत तथा जे0ई0 रोगियों की संख्या में 87 प्रतिशत एवं मृत्यु में 97 प्रतिशत की कमी आयी है।

(8) 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित।

(9) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 05 आयुष चिकित्सालय में 50 शैय्या एकीकृत, 05 ई-लाईब्रेरी, 02 महिला छात्रावास एवं 192 आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं 34 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों सहित कुल 238 परियोजनाओं को लोकार्पण किया गया है। प्रदेश में 216 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 154 हौम्योपैथिक, 25 यूनानी कुल 395 चिकित्सालयों के नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन। प्रदेश में 1034 आयुषमान आरोग्य मंदिर (पूर्ववर्ती आयुष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर) शतप्रतिशत क्रियाशील।

(10) अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, वाराणसी में नेचुरोपैथी केन्द्र एवं पंचकर्म हट्स, जौनपुर में 30 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय, मेरठ में 50 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर। गोरखपुर में योग एवं नेचुरोपैथी में उत्कृष्ट शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना।

(11) महाकुम्भ मेला प्रयागराज-2025 हेतु तीर्थयात्रियों, कल्पवासियों व कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं महानुभावों को आवश्यकतानुसार त्वरित अपेक्षित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मेला क्षेत्र में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न स्तरों के कुल 23 चिकित्सालय स्थापित किये गये हैं, जिनमें प्राथमिक उपचार से लेकर बहुविशेषज्ञता परामर्श, माइनर व मेजर सर्जरी, प्रसव सुविधाएं, आकस्मिक चिकित्सा इत्यादि सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं।

(12) "एक जिला एक मेडिकल कालेज" नीति के अंतर्गत प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज संचालित तथा 22 मेडिकल कालेज निर्माणाधीन।

(13) मिशन निरामयः के अंतर्गत 300 संस्थाओं में नर्सिंग/पैरामेडिकल पाठयक्रम संचालित।

**33. विशेषः- उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में नम्बर एक बना।**

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(2) अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान।

(3) 96 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

(4) वर्ष 2024 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 25,12,585 दीप जलाकर पुनः गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज।

(5) कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।

(6) गन्ना एवं चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में लगातार प्रथम स्थान।

(7) ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

(8) कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य।

(9) ई-मार्केट प्लेस (जेम) के अन्तर्गत सर्वाधिक सरकारी खरीददारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। क्रेता-विक्रेता गौरव सम्मान समारोह-2023 के विभिन्न श्रेणियों के एवार्ड्स में प्रदेश को 06 श्रणियों में प्रथम स्थान तथा 02 श्रेणियों में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

(10) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

(11) 06 एक्सप्रेस-वे एवं 04 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील, 01 निर्माणाधीन, उत्तर प्रदेश सड़क व एयर कनेक्टिविटी में हुआ सर्वश्रेष्ठ।

(12) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.83 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश प्रथम।

(13) वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में इस वर्ष 36.51 करोड़ पौधों का रिकॉर्ड रोपण।

(14) वित्तीय वर्ष 2023-24 में मत्स्य विभाग उ0प्र0 को भारत सरकार द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ अर्न्तस्थलीय मात्स्यिकी राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया।

(15) देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

(16) माइन मित्रा पोर्टल पर विकसित समाधानों के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश को डिजिटल इण्डिया एवॉर्ड-2022 (प्लैटिनम एवॉर्ड), 25वाँ नेशनल ई-गवर्नेंस एवॉर्ड-2022 (गोल्ड एवॉर्ड) एवं 19वॉ सीएसआईएसआईजी ई-गवर्नेंस एवॉर्ड-2021 प्राप्त हुआ।

(17) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की कार्ययोजना विकसित करने में देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी।

(18) पी0एम0 स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेण्डर को सर्वाधिक ऋण देकर देश में प्रथम।

(19) एनपीएस ट्रेडर्स के अंतर्गत कामगारों का पंजीयन कराने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(20) ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स स्टेट।

(21) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

.....